

N.D.H.: 24.02.2026

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1062 OF 2024

IN THE MATTER OF:

BHANU SAHAY

..... APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & OTHERS

... RESPONDENTS

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Reply on behalf of Respondent No.11, Nagar Nigam Jhansi to additional submission by Applicant with affidavit	1 -7
2.	<u>ANNEXURE R-1</u> A true copy of order of this Tribunal dated 28.11.2025	8 – 13
3.	<u>ANNEXURE R-2</u> Land record pertaining to alleged encroachment and report	14 – 47
4.	<u>ANNEXURE R-3</u> Photographs of celebration at river	48 – 49
5.	<u>ANNEXURE R-4</u> Photographs of cleaning after festival.	50 – 52
6.	<u>ANNEXURE R-5</u> Photographs of NGo's and voluntary participation in cleaning of river	53 – 54
7.	<u>ANNEXURE R-6</u> Proceedings of meeting for approval of finance for typing of two drains with SPS-4	55 – 64
8.	<u>ANNEXURE R-7</u> Letter to project manager for repair of wall near SPS-4 with photographs	65 – 66
9.	<u>ANNEXURE R-8</u> Notification constituting District Ganga Committee for district Jhansi	67

10.	<u>ANNEXURE R-9</u> Letter of State Government for revival and rejuvenation of small river and tributaries across the state	68 – 73
-----	---	---------

Place: New Delhi

Date: 23.02.2026

FILED BY:



(GAURAV AGARWAL)

Advocate for Respondent No.11

Nagar Nigam Jhansi

GRV LEGAL

Advocates and Legal Consultants

O-703, Aditya Mega City,

VaibhavKhand, Indirapuram,

Ghaziabad, U.P. NCR- 201014

Mob.: 8802911392, Email. : gaurav@grvlegal.in,

Report in reference to Hon'ble NGT order in the matter of Original Application No. 1062/2024, Bhanu Sahay Versus Union of India & Ors.

1. Hon'ble NGT vide its order dated 28.11.2025, in Original Application No. 1062/2024 Bhanu Sahay Versus Union of India & Ors. The operative part of the order is as follows: -

".....20. Learned Counsel for respondent- Municipal Corporation, Jhansi has sought four weeks' time to file reply to the additional submission of the applicant dated 27.11.2025. Prayer is allowed....."

Copy of Hon'ble NGT order dated 28.11.2025 is annexed here with as Annexure-1.

2. It is respectfully submitted that the photograph shown in the additional submission filed by the Applicant (Page No. 291 of the Applicant's Objection dated 27.11.2025) depicts a property which, as per the official land records, does not vest in or belong to the Municipal Corporation. The said property is private in nature and falls outside the ownership of the Municipal Corporation. Annexure-2.
3. It is respectfully submitted that the river in question traverses several kilometres across multiple administrative jurisdictions, extending far beyond the territorial limits of the Municipal Corporation. In view of the extensive geographical stretch and the magnitude of intervention required, comprehensive remediation of the entire river course cannot be undertaken solely within the routine municipal framework and budgetary allocation. It is further submitted that the river is

hydrologically dynamic in nature, and floating waste material is often carried downstream from upstream locations beyond the municipal jurisdiction. Without prejudice to the above, the Municipal Corporation has consistently undertaken preventive and remedial measures within its jurisdiction. These include prohibition of dumping of solid waste along the riverbanks, routine sanitation drives, removal of debris from ghats, and regular pre-post event cleaning operations, particularly after religious congregations which witness heavy footfall and temporary accumulation of offerings and waste materials. Annexure-3.

4. With regard to the photograph relied upon by the Applicant in the report dated 27.11.2025 (Page No. 314), it is submitted that the image appears to have been captured immediately following a religious event characterised by significant public gathering. The said depiction represents a temporary post-event condition prior to scheduled cleaning operations and does not reflect the continuous maintenance efforts undertaken by the Municipal Corporation. The Municipal Corporation undertakes immediate pre and post-event cleaning operations to restore sanitation and maintain the sanctity of the riverbanks. Annexure-4
5. In addition, the Corporation has undertaken Information, Education and Communication (IEC) activities along the ghats, installed signboards discouraging littering, conducted awareness drives, and imposed penalties upon identified offenders to deter dumping of waste. Several Non-Governmental Organizations (NGOs) have also been engaged in cleanliness drives in coordination with the Municipal Corporation. Annexure-5.



नगर आयुक्त
झाँसी नगर निगम, झाँसी

6. It is respectfully submitted that the drains referred to as "storm water drains" in the order dated 28-11-2025, in fact are, grey water drains intended to carry untreated domestic wastewater. These drains ultimately connect to the major drains which are further tapped to STP via sewage pumping stations as identified in the Joint Committee Report submitted pursuant to the Hon'ble National Green Tribunal's Order dated 28.11.2024 (Page No. 2 thereof).
7. With regard to the two minor drains identified during the survey, it is submitted that the Municipal Corporation has already acknowledged their existence in its previous report filed before Hon'ble Tribunal. The process for integration and tapping of the said minor drains is presently underway. Necessary technical steps for their interception have been initiated. **Annexure-6.**
8. It is humbly submitted that the photographs shown in the additional submission filed by the Applicant (Page No. 291 of the Applicant's Objection dated 27.11.2025 on Page Nos. 303 to 305 depicting the damaged weir were duly noted by the Municipal Corporation at the relevant time. The said damage has already been rectified, and necessary repairs have been completed. **Annexure-7.**
9. It is humbly submitted that as noted by the Hon'ble Tribunal, the river Pahuj, being a tributary of River Sindh and Yamuna, attracts the provisions of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016. In furtherance thereof, District-level oversight is exercised through the District Ganga Committee (Jila Ganga Samiti), which comprises, inter alia, the District Magistrate, Chief Development Officer, Regional Officer of the Uttar Pradesh Pollution Control Board, Executive Engineers of concerned departments including Public Works Department, Irrigation and Minor Irrigation Departments, Construction Divisions, Divisional Forest

Officer, Chief Medical Officer, Additional District Magistrate, and other designated stakeholders. Annexure-8.

10. The statutory scheme clearly contemplates coordinated and inter-departmental action in respect of prevention of sewage discharge, regulation of drains, prevention of solid waste dumping, riverbank protection, and environmental management. Regular meetings are convened under the aegis of the District Ganga Committee, and compliance-related information is reviewed and consolidated at the district level.
11. It is further respectfully submitted that the State Government of Uttar Pradesh has issued a letter no 01/76-2-2026-E-1609058 dated 12-01-2026 for the revival and rejuvenation of small rivers and tributaries across the State. Annexure-9. The said letter delineates department-wise allocation of responsibilities, including but not limited to desilting, channelization, demarcation of floodplains, prevention of encroachment, sewage management, and ecological restoration measures. The framework contemplates coordinated action at the Mandal and District levels through designated committees comprising representatives of concerned technical and administrative departments. Under the said institutional mechanism, functions such as riverbed desilting, channel correction, and floodplain demarcation fall within the domain of specialized departments including Irrigation and allied technical authorities, whereas municipal bodies are assigned responsibilities relating to solid waste management, regulation of drains within municipal limits, and sanitation-related measures.
12. The Municipal Corporation, though not the sole authority under the said framework, actively participates as a key stakeholder within its statutory jurisdiction. The Municipal Corporation has been consistently undertaking

drain tapping operations, implementing solid waste management measures, and carrying out enforcement actions to prevent illegal dumping. The Municipal Corporation remains committed to maintaining cleanliness, environmental integrity, and regulatory compliance within its jurisdiction and continues to undertake regular monitoring and maintenance in accordance with its capacity.



Respondent no. 11
Municipal Commissioner,
Nagar Nigam Jhansi

Through



Gaurav Agarwal,
Advocate, Supreme Court
O-703, Aditya Mega City,
Vaibhav Khand, Indirapuram, Ghaziabad, U.P. NCR 201014
Counsel for Respondent No. 11

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO.1062 OF 2024

IN THE MATTER OF:

BHANU SAHAY

.....APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & OTHERS

.....RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, AKANKSHA RANA, aged about 34 years, W/O Shri Manish Kumar, R/o A-1, Nagar Ayukta Awas, Near Atal Ekta Park, Civil Lines Jhansi, U. P.- 284001, do hereby state on solemn affirmation as under:



1. That am the Respondent No.11, Municipal Commissioner, Jhansi Nagar Nigam in the present Original Application as such I am well conversant with the facts and circumstances of the present case and hence, competent to swear this affidavit.
2. That I have gone through the accompanying Reply from para 1 to 12 and say that the contents thereof are true and correct to the best of my knowledge and belief and I believe the same to be true.
3. That the Annexure 1 to 9 the reply are true copy of the documents.
4. Solemnly affirmed on this 21 day of February, 2026 at Jhansi, U.P.

[Handwritten Signature]
21/02/2026

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Jhansi, U.P. on this 21 day of February, 2026 that the contents of my above affidavit are true and correct to my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.



Serial No. 414/26 Date 21/02/2026
Certified that the foregoing statement sworn before me this day at Jhansi by Shri/Smt./Kum. Akanksha Rana to whom the contents of this affidavit have been read over and explained and who is identified by Shri. Shri Manish Kumar Received the legal fee Rs. 35-00 each.

[Handwritten Signature]
21/02/2026

DEPONENT

ASHOK KUMAR TIWARI
ADVOCATE
Notary (Govt. of India) District, JHANSI

ANNEXURE 1:

Item No. 03

Court No. 1

**BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 1062/2024

Bhanu Sahay

Versus

Applicant

Union of India & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 28.11.2025

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

Applicant: Mr. Bhanu Sahay, Applicant in Person (Through VC)

Respondent: Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon, Ms. Gargi Chaturvedi, Ms. Anjali Shamra,
Mr. Shivansh Sharma & Ms. Disha Tiwari, Advs. for UPPCB
Ms. Priyanka Swami, Adv. for R - 3 & 9
Mr. Gaurav Agarwal, Adv. for R - 11**ORDER**

1. In this Original Application (OA), applicant has raised the issue of pollution caused to the river Pahuj flowing through Jhansi District which is stated to be a tributary of river Sindh and Yamuna, hence, attracts the provisions of River Ganga (Rejuvenation, Protection And Management) Authorities Order 2016.
2. Applicant alleges that river is getting polluted on account of discharge of sewage, throwing of solid waste and muck and encroachment on the river bed.
3. Tribunal by order dated 16.08.2024 had constituted a joint committee which had initially submitted the report on 23.11.2024 disclosing the source of pollution of river Pahuj was sewage generated from city through four major drains. Disclosure so made in the first report of the joint committee is as under:

1

contd.

***F. Source of pollution:**

a) The major source of pollution of River Pahuj is sewage generated from the city through major four drains namely Naya Gaon Nalla, Lahar Gird Bus Stop Nalla, Prabhu Ramial Ashram Naila and Rajghat Colony Naila.

b) The catchment area of the Nalla and average flow (as per STP DPR) are as below:

S No.	Name of Nalla/ Drain	Catchment area	Flow (in MLD)
1	Naya Gaon Nalla	Siddheshwar Nagar (Partial) and ITI College	3.5
2	Lahar Gird Bus Stop Nalla	Siddheshwar Nagar, Laher ki mata	11
3	Near Prabhu Ramlal Ashram Nalla	Rajghat Colony and Panchat Bhawan Colony	1.5
4	Rajghat Colony Nalla	Gadhiya Phatak, Khatiwala Isaitola, Summer Nagar, Sangam Vihar, Surya Puram, K.K.Puri and Aawas Vikas Colony	10

The joint committee had proposed following remedial measures:-

***H. Proposed Remedial Measures:**

- i. The Municipal Corporation of Jhansi District should expediate for construction, commissioning and operation of all Sewage Pumping Stations (SPS) at the earliest.
- ii. The Municipal Corporation of Jhansi District should expedite for tapping of all drains discharging untreated sewage into River Pahuj and ensure Interception and diversion of sewage into STP for its treatment.
- iii. The different departments of Jhansi District viz. The Municipal Corporation, Irrigation Department, and Rural Development

2

contd.

Department must take measures to remove the water hyacinth from the river in a time-bound manner from locations like under bridges, ghats, etc.

- iv. The Municipal Corporation, Jhansi should take necessary action and provide awareness to the Public to prohibit the disposal of solid waste into River as well as in Ghats.*
- v. There are two main bridges over the river in Jhansi City where it was observed that people throw worship leftover material into the river from the bridge even though protective mesh has been installed on bridges but public awareness campaigns are required.*
- vi. At the time of report finalization, it was informed by the Additional Municipal Commissioner, Municipal Corporation Jhansi that tapping of all the four nallas is at the stage of final commissioning. Three out of four pumping stations are at functional stage and in the case of the other one civil work is completed and electricity connections is under process. Once the electricity connection is done then it will take another twenty-five days to develop bacteria and make it fully functional. It is recommended that a timeline should be followed to make STP fully functional as soon as possible."*

5. Joint committee has submitted the subsequent report dated 19.07.2025 disclosing the drains which were still discharging the untreated sewage in the river. The second report discloses that pollution of river was much higher than the water quality status in the first report dated 23.11.2024.

6. Applicant has placed on record the latest photographs showing the status of the discharge of garbage and sewage along with additional submission dated 27.11.2025. Photographs reveal throwing of garbage and muck in the river and also on page 291 construction appears to be obstructing the flow of river.

7. Learned Counsel appearing for respondent no.9-District Magistrate, Jhansi submits that it is the responsibility of the Municipal Corporation, Jhansi to tap the drains and keep the river clean.

3

contd.

8. Learned Counsel for respondent no.11-Municipal Corporation, Jhansi submits that it is the responsibility of Irrigation Department of the State to ensure that no encroachment on the river takes place.

9. Applicant referring to the photographs has submitted that encroachment is going on affecting the flow of river and respondent no.10-Jhansi Development Authority is sanctioning the construction right at the bank of the river.

10. Though, respondent no.10- Jhansi Development Authority is served but is not represented today.

11. Since the authorities are shifting the responsibility on each other, therefore, we require the respondent no.3-Chief Secretary, State of UP to personally look into this issue and to ensure that expeditious action is taken to prevent the discharge of sewage in river Pahuj and prevention of throwing of muck and garbage in the river.

12. It is noticed that storm water drains are carrying untreated sewage which is not permissible in law. Storm water drains are being tapped to divert the flow to the STP. 100% household connectivity with the STP can prevent the flow of untreated sewage in the storm water drain. If the storm water drain illegally carrying the untreated sewage, is diverted to the STP that may give a short term solution only but, during the rains it may result in flooding of the STP causing hydraulic upsets resulting in flowing of untreated sewage in the river. Further, flood plain zone of river Pahuj should be identified and demarcated.

13. Let action taken report be filed by respondent no.3 within six weeks.

14. In the reply affidavit dated 18.03.2025, UPPCB has disclosed that action was initiated for imposing the environmental compensation against

4

contd.

Municipal Corporation, Jhansi and by order dated 18.03.2025, environmental compensation of Rs.16.10 crore has been imposed.

15. Learned Counsel appearing for UPPCB submits that in view of the order of Hon'ble Supreme Court recently passed, UPPCB is not in a position to recover this compensation amount because the subordinate legislation has not been framed by the Central Government.

16. Hon'ble Supreme Court by order dated 04.08.2025 passed in Civil Appeal(s) Nos. 757—760/2013: Delhi Pollution Control Committee vs. Lodhi Property Co. Ltd. Etc. while recognizing the power of State PCB to levy the environmental compensation had directed as under:

"39. For the reasons stated above:

(a) we allow these appeals and set aside the judgement and order dated 23.01.2012, passed by the Division Bench of the High Court of Delhi to the extent of declaration of law but direct that the show cause notices that have been set aside by the High Court shall not be revived.

(b) we direct that the Pollution Control Boards can impose and collect as restitutionary and compensatory damages fixed sums of monies or require furnishing bank guarantees as an ex-ante measure towards potential environmental damage in exercise of powers under Sections 33A and 31A of the Water and Air Acts.

(c) it is further directed that the power to impose or collect restitutionary or compensatory damages or the requirement to furnish bank guarantees as an ex-ante measure under Sections 33A and 31A of the Water and Air Acts shall be enforced only after detailing the principle and procedure incorporating basic principles of natural justice in the subordinate legislation."

17. In terms of the above direction, power to impose or collect compensatory damages can be enforced only after the principle and procedure detailed incorporating basic Principles of Natural Justice in subordinate legislation.

18. It has been pointed out that this exercise of framing the subordinate legislation is to be carried out by respondent no-1-Union of India through MoEF&CC. Hence, we require the respondent no.1 to apprise the Tribunal

5

contd.

about the steps which have been taken in compliance of the directions of Hon'ble Supreme Court as quoted above. Let affidavit in this regard be filed by respondent no.1 within six weeks.

19. Since respondent no.1 is not represented today, therefore, a copy of this order be forwarded by the Registry to respondent no.1.

20. Learned Counsel for respondent- Municipal Corporation, Jhansi has sought four weeks' time to file reply to the additional submission of the applicant dated 27.11.2025. Prayer is allowed.

21. List on 24.02.2026.

Prakash Shrivastava, CP

Dr. A. Senthil Vel, EM

November 28, 2025
Original Application No. 1062/2024
JG.

ANNEXURE 2:**सम्पत्ति अधिकारी/अपर नगर आयुक्त/नगर आयुक्त महोदय,**

कृपया मौजा लहरगिर्द में पहूज नदी पर किये जा रहे अतिक्रमण के सम्बन्ध में मौके की जांच कराते हुये क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक से0नि0, न0नि0 झाँसी से आख्या प्राप्त की गई है। राजस्व निरीक्षक से0नि0, न0नि0, झाँसी की जांच आख्यानुसार मौजा लहरगिर्द स्थित भूमि संख्या 777/1, 777/2, 777/3 यह खातेदारों की भूमि है जिसमें खातेदारों द्वारा अवैध रूप से सुधा विहार के नाम से आवासीय भूमि की प्लाटिंग की जा रही है यह भूमि पहूज नदी के डूब क्षेत्र में आती है। इस भूमि में नगर निगम का अथवा राज्य सरकार का कोई अंश नहीं है। पहूज नदी के नाम खतौनी में दर्ज गाटा नम्बरानों पर कोई अवैध कब्जा नहीं है। डूब क्षेत्र पर निर्माण होने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 57/जो0अ0/स0न0आ0/न0नि0/2025-26 दिनांक 29.11.2025 के द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, प्रखण्ड बेतवा नहर झाँसी को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

पहूज नदी के रूप में दर्ज भूमि पर कोई अवैध कब्जा नहीं पाया गया। चूंकि राज्य सरकार/नगर निगम की भूमि पर कोई निर्माण न होने के कारण नगर निगम स्तर से किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। अवैध रूप से की जा रही प्लाटिंग की भूमि से सम्बन्धित खतौनी की प्रति संलग्न है।

आख्या अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

11/11/2025

आमप्रकाश सोनी
(Retd. A.C.O.)
नायब तहसीलदार (ओरिजिनल)
झाँसी नगर निगम

20/11/26
20/11/26
सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, झाँसी

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, झाँसी

contd.

2/20/26, 11:26 AM

भूलेख

Hindi

Download PDF

← Back



भूलेख - खतोनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

जनपद : झांसी

तहसील : झांसी

ग्राम : लहरगिर्द

ग्राम कोड : 218690

फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027)

खाता संख्या : 00172

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।

खसरा/ गाटा संख्या	खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण			खातेदार का अंश	
	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या / अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) कृपया उक्त खसरे की प्रसिति (भूखंड (गाटा) के वाद प्रसू / विक्रम / भू-नक्शा / नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर विवरण करें।	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व	
777/1	1) गनेश प्रसाद सेन पुत्र / चिरंजीलाल सेन / नि.453सीताराम कम्पाउण्ड सीपरी बाजार झांसी 2) चन्द्रभान पुत्र / महिपाल / नि.लडेसरा जिला हमीरपुर		1387फ.	777/1 (2186900777100112)	0.5020			8.20	

कुल गाटे : एक

कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव पांच शून्य दो शून्य (हेक्टेयर)

कुल भू-राजस्व : आठ दशमलव दो शून्य रुपये

contd.

भूलेख

2/20/26, 11:26 AM

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया			दर्ज किया गया	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
पालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	क्षेत्रफल(हे०)	नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	क्षेत्रफल(हे०)
1) राजस्व न्यायालय (लहसीलदार) / T202406370106860 / 01-08-2024 / विक्रय / Lachchi Ram (रजिस्ट्रार कानूनगो) / 25-11-2024	1.1) चन्द्रभान पुत्र/महिला/नि. लडेसरा जिला हमीरपुर (:-)	777/1 (2186900777100112)	1.1) 0.0000	1.1) श्रीमती सुनीता / पती राम धनी प्रसाद / निवासी गल्ला मण्डी मुगलसराय	777/1 (2186900777100112)	1.1) 0.0000
2) राजस्व न्यायालय (लहसीलदार) / T20160637012555 / 02-05-2025 / विक्रय / Mukesh Kumar (रजिस्ट्रार कानूनगो) / 07-05-2025	2.1) श्रीमती सुनीता/पती राम धनी प्रसाद/ निवासी गल्ला मण्डी मुगलसराय (:-)		2.1) 0.0000	2.1) श्रीमती यम्या देवी / पती आलोक सिंह यादव / निवासी लहरगढ़ झांसी		2.1) 0.0000
3) राजस्व न्यायालय (लहसीलदार) / T202406370106860 / 26-04-2025 / दुस्ती (संशोधन से) / Mukesh Kumar (रजिस्ट्रार कानूनगो) / 27-05-2025	3.1) श्रीमती सुनीता/पती राम धनी प्रसाद/ निवासी गल्ला मण्डी मुगलसराय (:-)		3.1) 0.0000	3.1) श्रीमती सुनीता / पती रामधनी प्रसाद / निवासी गल्ला मण्डी मुगलसराय		3.1) 0.0000

2/4

https://upbhulekh.gov.in/#/udran_khatauni

contd.

2/20/26, 11:26 AM

भूलिख

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

() बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण :

- 1) 1424फ. व आदेश श्रीमान तहसीलदार झाँसी वाद सं. 1156/16-17 टी. 2017063725011591 दि. 03-06-17 मौजा लहरगिर्द तह. झाँसी की खतौनी वर्ष 1423-1428फ. के खाता सं. 777/1 रकवा 0.502 है. मे से 0.0065 है. वय मा.गु.60ख के अनुसार पर से विक्रेता खातेदार दिव्यांश राय पुत्र रामेश्वर राय व हैसियत मुखार आम श्रीमती सुनीता पत्नी रामेश्वर राय पुत्री रामधनी प्रसाद नि. 552 सिविल लाईन व श्रीमती रूचिका पुत्री मानिक चन्द्र नि. 157 व 158 तलैया व श्रीमती रिचा पुत्री ओमप्रकाश राय पत्नी राजेश नि. एन. 15 रस बहार कॉलोनी नन्दनपुरा तह. व जिला झाँसी व खतौनी मे दर्ज खातेदार चन्द्रभान पुत्र महिपाल नि. ग्राम नौसारा पो. चरखारी जिला महोबा उ.प्र. के नाम के साथ क्रेता वासीफ खान पुत्र नजीरखान नि. 53, 28 इटागाह रोड ईसाई टोला. तह. व जिला झाँसी का नाम पंजीकृत बैनामा दि. 03-05-16 के आधार पर बतौर संक्र. भूमि. सहखातेदार दर्ज हो। पत्रावली बैनामा। ह.अप.आर.के.1 दि. 03-06-17।
- 2) 1425फ.व आदेश श्रीमान तहसीलदार झाँसी वाद सं.2351/16-17,1873/15-16,टी20160637013400/दि.23-8-2017/मौजा लहरगिर्द तह.व जिला झाँसी की खतौनी वर्ष 1423-1428फ.के खाता सं.169 के गाटा सं.777/1 रकवा 0.502है.मे से 0.027है.वय मा.गु.60ख के अनुसार पर से विक्रेता खातेदार रामेश्वर राय पुत्र स्व.बैजनाथ राय नि.240/2 सिविल लाइन झाँसी व श्रीमती विमलेश पत्नी मानिकचन्द्र नि.167 मिनरवा के पीछे शहर व श्रीमती गीता शिवहरे पत्नी स्व.भगवतनारायण शिवहरे नि.413 छोनियापुरा व श्रीमती प्रभजोत कौर पत्नी महेश्वर पाल सिंह नि.332/1 झोकनबाग झाँसी व खतौनी में दर्ज खातेदार चन्द्रभान पुत्र महिपाल नि.ग्राम नौसारा पो.चरखारी जिला महोबा के नाम के साथ क्रेता श्रीमती सविस्ता बेगम पत्नी याकूब खान नि.325 ईसाईटोला तह.व जिला झाँसी का नाम पंजीकृत बैनामा दि.15-4-08 व 31-3-2012 व 1-6-2016 के आधार पर बतौर संक्र.भूमि.सहखातेदार दर्ज हो। जरिये पत्रावली बैनामा। ह.अप.आर.के.दि.10-9-2017
- 3) 1426फ.व आदेश श्रीमान न्या.नायव तहसीलदार झाँसी वाद सं.217/2019/टी.201906370101710/02-5-19 मौजा-लहरगिर्द तहसील झाँसी की खतौनी वर्ष 1423-1428 फ0 के खाता सं0 169 के गाटा सं0 777/1/0.502है0 मे से रकवा 0.0106है0 वय मालगुजारी 60ख के अनुसार पर से गैरमुदर्ज विक्रेता दिव्यांस पुत्र रामेश्वर राय निवासी 552 सिविल लाइन झाँसी व श्रीमती मधु पुत्री गंगाप्रसाद पत्नी महेश निवासी एन-16 रस बहार कॉलोनी नन्दनपुरा सीपरी बाजार व कु0 श्रुचिता पुत्री मानिकचन्द्र निवासी 167 तलैया व श्रीमती प्रभजोत कौर पत्नी मोहिन्दर पाल सिंह निवासी 332/1 झोकन बाग व मूल विक्रेता चन्द्रभान पुत्र महिपाल निवासी ग्राम नौसारा पो0 चरखारी जिला महोबा उ0प्र0 का नाम खारिज होकर उनके स्थान पर क्रेता श्रीमती सुमन साहू पत्नी चन्द्रप्रकाश निवासी 433 मोहन पूरा बांदा का नाम जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 14.02.2019 के आधार पर विक्रेता के नाम के साथ बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज हो।जरिये पत्रावली बैनामा।ह.अप.आर.के.04-5-19
- 4) 1427फ. व आदेश श्रीमान तहसीलदार सदर झाँसी वाद सं.683/2019/T201906370101736 दिनांक 05-09-19 मौजा लहरगिर्द तहसील व जिला झाँसी की खतौनी वर्ष 1423-1428 फसली के खाला संख्या 169 के गाटा संख्या 777/1 रकवा 0.502 है. मे से 0.0079 है. वय भूरा60ख के अनुसार पर से गैरमुदर्ज विक्रेता/खातेदार दिव्यांस पुत्र रामेश्वर राय निवासी 552 सिविल लाईन व श्रीमती मधु राय पुत्री गंगा प्रसाद राय पत्नी महेश राय निवासी एन-16 रस बहार कॉलोनी व श्रुचिता पुत्री मानिकचन्द्र निवासी 167 तलैया व श्रीमती प्रभजोत पत्नी मोहिन्द्र पाल सिंह निवासी 332/1 झोकनबाग व अभिलेखो में पूर्व से दर्ज खातेदार चन्द्रभान पुत्र महिपाल निवासी ग्राम नौसारा पो. चरखारी जिला महोबा उ.प्र. के नाम के साथ क्रेता श्रीमती उर्मिला और शिववाइ पत्नी बृजकिशोर निवासी बूढा नांदा तहसील व जिला चित्रकूट का नाम पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14.02.2019 के आधार पर वतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज हो। जरिये परवाना ह.अप.आर.के.दि.17-09-19
- 5) 1427फ. व आदेश श्रीमान नायब तहसीलदार झाँसी वाद सं.688/2019/T201906370105841 दिनांक 17-09-19 मौजा-लहरगिर्द तहसील झाँसी की खतौनी वर्ष 1423-1428 फ. तक के खाला संख्या 169 के गाटा संख्या 777/1/0.502है. मे से रकवा 0.0116है. वय मालगुजारी 60ख के अनुसार पर से गैरमुदर्ज विक्रेता श्रीमती सुनीता राय पत्नी रामेश्वर राय निवासी 240/1 सिविल लाइन झाँसी जरिये दिव्यांस पुत्र रामेश्वर

https://upbuhlekh.gov.in/#/udran_khalauni

3/4

contd.

2/20/26, 11:26 AM

भूलेख

राय निवासी 552 सविल लाइन व कु. रूचिका पुत्री मानिकचन्द्र निवासी 157 व 158 तलैया झाँसी व श्रीमती रिचा राय पुत्री ओमप्रकाश राय पत्नी राजेश निवासी एन-15रस बहार कॉलोनी नन्दनपुरा सीपरी बाजार झाँसी व मूल विक्रेता चन्द्रभान पुत्र महिपाल निवासी ग्राम नौसारा पो. चरखारी जिला महोबा उ.प्र. के नाम के साथ क्रेता प्रमोद राज पुत्र मुत्रालाल राज निवासी 840 कानपुर रोड छोटी काली माई के मन्दिर पास खुशीपुरा तहसील झाँसी का नाम जरिये रजिस्टर्ड वैनामा दिनांक 20.06.2019 के आधार पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज हो। जरिये पत्रावली बैनामा ह.अप.आर.के.दि.09-10-19

6) 1427फं व आदेश श्रीमान न्या० तह० सदर झाँसी वाद सं० 1872/2015-16/720160637013398/17-12-19 मौजा लहरगिर्द तह० झाँसी की खतोनी वर्ष 1423-1428फं तक के खाता सं० 169 के गाटा सं० 777/1 रकवा 0.502हे० में से 0.0048हे० वय भू०रा००60ख के अनुसार पर से गैरमुद्दज विक्रेता/खातेदार रामेश्वर राय पुत्र स्व० बैजनाथ राय नि० 240/2 सविल लाईन तह० झाँसी व श्रीमती विमलेश पत्नी मानिकचन्द्र नि० 167 मिनर्वा सिनेमा के पीछे शहर व श्रीमती गीता शिवहरे पत्नी स्व० भगवत नारायण शिवहरे नि० 413 छनियापुरा व श्रीमती प्रमजोत कोर पत्नी मोहिन्द पाल सिंह नि० 332/1 झोकरन बाग तह० झाँसी व अभिलेखो में पूर्व से दर्ज खातेदार चन्द्रभान पुत्र महिपाल नि० ग्राम नौसारा पो० चरखारी जिला महोबा उ०प्र० के नाम के साथ क्रेता रोहित यादव पुत्र आलोक सिंह यादव नि० 496 लहरगिर्द तह० झाँसी का नाम पंजीकृत विक्रय पत्र दि० 01-01-2016 के आधार पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज हो। जरिये परवाना। ह०अप०आर०के०30-01-2020

7) 1427फं व आदेश श्रीमान न्या० तह० सदर झाँसी वाद सं० 2859/2019/7201906370106806/17-12-19 मौजा लहरगिर्द तह० झाँसी की खतोनी वर्ष 1423-1428फं तक के खाता सं० 169 के गाटा सं० 777/1 रकवा 0.502हे० में से 0.0048हे० वय भू०रा००60ख के अनुसार पर से गैरमुद्दज विक्रेता/खातेदार रामेश्वर राय पुत्र स्व० बैजनाथ राय नि० 240/2 सविल लाईन तह० झाँसी व श्रीमती विमलेश पत्नी मानिकचन्द्र नि० 167 मिनर्वा सिनेमा के पीछे शहर व श्रीमती गीता शिवहरे पत्नी स्व० भगवत नारायण शिवहरे नि० 413 छनियापुरा व श्रीमती प्रमजोत कोर पत्नी मोहिन्द पाल सिंह नि० 332/1 झोकरन बाग तह० झाँसी व अभिलेखो में पूर्व से दर्ज खातेदार चन्द्रभान पुत्र महिपाल नि० ग्राम नौसारा पो० चरखारी जिला महोबा उ०प्र० के नाम के साथ क्रेता प्रियंका यादव पुत्र राहुल यादव नि० 796 जगेश्वर का पुरवा तह० बबेरू जिला बांदा का नाम पंजीकृत विक्रय पत्र दि० 01-06-2016 के आधार पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज हो। जरिये परवाना। ह०अप०आर०के०30-01-2020

8) व आदेश न्याया.तहसीलदार झाँसी वाद सा.टी.202306370112948/11-12-23 मौजा लहरगिर्द तहसील व जिला झाँसी की खतोनी वर्ष 1429-1434 फसली के खाता संख्या 172 के गाटा संख्या 777/1 रकवा 0.502 हे० में से 0.0627 हे० वय भू०रा००60ख के अनुसार पर से विक्रेता/खातेदार चन्द्रभान पुत्र महिपाल निवासी ग्राम नौसारा पो० चरखारी जिला महोबा के नाम के साथ क्रेता कु० रूचिका पुत्र मानिकचन्द्र निवासी 157 व 158 मिनर्वा सिनेमा के पीछे तहसील व जिला झाँसी व श्रीमती रिचा पत्नी राजेश निवासी एन-15 रस बहार कॉलोनी नन्दनपुरा तहसील व जिला झाँसी का नाम पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 11.04.2008 के आधार पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज हो। जरिये परवाना 120-1-24

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त/विक्रय/भू-नक्शा/नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर विलोक करें।

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एम.सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

https://upbhulekh.gov.in/#/udran_khatauni

4/4

contd.

2/20/26, 11:27 AM

भूलेख

Hindi

Download PDF

← Back



भूलेख - खतौनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

जनपद : झांसी

तहसील : झांसी

ग्राम : लहरगिर्द

ग्राम कोड : 218690

फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027)

खाता संख्या : 00221

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।

खसरा/ गाटा संख्या	खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण			खातेदार का अंश	
	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या / अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जीत का आधार	(4) वर्ष	(5) कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद प्रस्त / विक्रय / भू-नक्शा / नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व	
777/2	1) चिनुवां उर्फ चैनसिंह पुत्र / खचारे / निलहरगिर्द		1396फ.	777/2 (2186900777100212)	0.0570	1) 1/1	1) 0.0570	0.00	
							0.0570		

कुल गाटे : एक	कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव शून्य पांच सात शून्य (हेक्टयर)	कुल भू-राजस्व : शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये	कुल अंश का क्षेत्रफल : शून्य दशमलव शून्य पांच सात शून्य (हेक्टयर)
---------------	--	---	---

https://upbhulekh.gov.in/#/udran_khatauni

1/4

contd.

2/20/26, 11:27 AM

भूलोख

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण (10)	खारिज किया गया		दर्ज किया गया			
(10) यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)

https://upbhulekh.gov.in/#/udran_khatauni

2/4

contd.

2/20/26, 11:27 AM

भूलिख

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक) :

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण :

- 1) 1424फ. व आदेश श्रीमान् तहसीलदार झांसी वाद सं.224/16-17 टी.2016063725016863 दि.13-4-2017 मौजा लहरगिर्द तहसील झांसी की खतोनी वर्ष 1423-1428फ. के खाता सं. 215 के गाटा सं.777/2 रकवा 0.0097हे. में से 0.0139हे. वय मा.गुं.60ख के अनुसार पर से विक्रेता खातेदार श्रीमती मदीना पत्नी रहीषा नि. 589 बाहर उन्नावट व खतोनी में दर्ज खातेदार चिनुवां उर्फ बैन सिंह पुत्र खचारे निवासी लहरगिर्द तहसील व जिला झांसी के नाम के साथ क्रेता श्रीमती मीनादेवी पत्नी गोविन्दस नि. दमरौ चौक तहसील मऊरानीपुर जिला झांसी का नाम पंजीकृत वैनामा दि.24-10-2016 के आधार पर वतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज हो पत्रावली वैनामा ह.अप.आर.के.दि.13-4-2017
- 2) 1427फ. व आदेश श्रीमान तहसीलदार सदर झांसी वाद सं.2369/2019/ट201906370105624 दिनांक 07-09-19 मौजा लहरगिर्द तहसील व जिला झांसी की खतोनी वर्ष 1423-1428 फसली के खाता संख्या 215 के गाटा संख्या 776/1 रकवा 0.024 हे. में से 0.0116 हे. वय भू.रा.60ख के अनुसार पर से विक्रेता/खातेदार चिनुवां उर्फ बैन सिंह पुत्र स्व. खचारे निवासी आर.एफ.सी. मोदाम के सामने लहरगिर्द तहसील व जिला झांसी के नाम के साथ क्रेता अब्दुल समद पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी 292/3 काछियाना पुरिया न.9 तहसील व जिला झांसी का नाम पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.08.2013 के आधार पर वतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज हो। जरिये परवाना ह.अप.आर.के.दि.17-09-19
- 3) 1427फ० व आदेश श्रीमान न्या० तह० सदर झांसी वाद सं० 3844/2019/ट201906370108968/16-12-19 मौजा लहरगिर्द तह० झांसी की खतोनी वर्ष 1423-1428फ० के खाता सं० 215 के गाटा सं० 772/2 रकवा 0.097हे० में से 0.0092हे० वय भू०रा०60ख के अनुसार पर से गैरमुन्दर्जे विक्रेता/खातेदार असरफ अली पुत्र असागर अली नि० 666 खुशीपुरा व अभिलेखों में पूर्व से दर्ज खातेदार चिनुवां उर्फ बैन सिंह पुत्र खचारे नि० लहरगिर्द तह० झांसी के नाम के साथ क्रेता संजीव गुप्ता पुत्र शंकरलाल गुप्ता नि० 1382/1 दीनदयाल नगर खातीबाबा तह० झांसी का नाम पंजीकृत विक्रय पत्र दि० 11-10-2019 के आधार पर वतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज हो। जरिये परवाना। ह०अप०आर०के०30-01-2020
- 4) 1427फ० व आदेश श्रीमान न्या० तह० सदर झांसी वाद सं० 3843/2019/ट201906370108967/16-12-19 मौजा लहरगिर्द तह० झांसी की खतोनी वर्ष 1423-1428फ० के खाता सं० 215 के गाटा सं० 772/2 रकवा 0.097हे० में से 0.0092हे० वय भू०रा०60ख के अनुसार पर से गैरमुन्दर्जे विक्रेता/खातेदार असरफ अली पुत्र असागर अली नि० 666 खुशीपुरा व अभिलेखों में पूर्व से दर्ज खातेदार चिनुवां उर्फ बैन सिंह पुत्र खचारे नि० लहरगिर्द तह० झांसी के नाम के साथ क्रेता श्रीमती साधना देवी पत्नी पंकज कुमार नि० 184 मऊ देहात तह० मऊरानीपुर झांसी का नाम पंजीकृत विक्रय पत्र दि० 11-10-2019 के आधार पर वतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज हो। जरिये परवाना। ह०अप०आर०के०30-01-2020
- 5) 1429फ. व आदेश श्रीमान न्या.तहसीलदार झांसी वाद सं. 1701/2022/131/2021/ट202106370100594/02.04.2022 मौजा लहरगिर्द तहसील व जिला झांसी की खतोनी वर्ष 1429-1434 फसली के खाता संख्या 215 के गाटा संख्या 777/2 रकवा 0.057हे. में से रकवा 0.0037हे. वय भू.रा.60ख के अनुसार पर से विक्रेता/खातेदार प्रवेश कुमार यादव पुत्र जगदीश सिंह यादव व साहब सिंह पुत्र स्व. कोमल सिंह निवासीगण कृष्णा इन्वोब कालोनी नन्दनपुरा, झांसी व केहर सिंह व शैलेन्द्र सिंह व पुष्पेन्द्र सिंह निवासीगण स्व. कोमल सिंह निवासीगण 28, लहरगिर्द, झांसी व नेन्द्र सिंह यादव पुत्र स्व. कोमल सिंह निवासी 24, विजय सिंह बाबा मंदिर की गली लहरगिर्द कृष्णा इन्वोब तहसील व जिला झांसी के नाम के साथ क्रेता विजेन्द्र सिंह अरोरा पुत्र हरवेशलाल अरोरा निवासी 31/3/1, झोकन बाग तहसील व जिला झांसी का नाम पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.12.2020 के आधार पर वतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज हो। ह.अप.आर.के.10.05.22

https://upbhulekh.gov.in/#/udran_khataun

3/4

contd.

2/20/26, 11:27 AM

भूलेख

6) 1430फ. व आदेश श्रीमान नायब तहसीलदार बडगांव वाद सं.7/19/2022/T/202206370106241 दिनांक 15-07-2022 मौजा-वाहरगिर्द, तहसील व जिला झॉसी की खतौनी वर्ष 1429-1434 फसली के खाता सं 221 के गाटा सं0 777/2/0057 हे0 मे से रकवा 0.0139 हे0 वय मालगुजारी 60 ख के अनुसार पर से विक्रेता- श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री गोविन्द दास निवासी दमले चैक मऊरानीपुर जिला झॉसी तहसील व जिला झॉसी के साथ क्रेता- श्री संजीव कुमार प्रभाकर पुत्र श्री पूरेलाल प्रभाकर निवासी रजौपुर, कमालगंज सिधौरामपुर फरूखाबाद उ0 प्र0 का नाम जरिये पंजीकृत वैनामा दिनांक 02-05-2022 के आधार पर खार संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज हो। जरिये परवाना ह.अप.आर.के.दि.20-07-2022

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद प्रस्त./विक्रय./भू-नकशा/नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर खिाक करें।

Disclaimer: उक्त ऑकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

https://upbhulekh.gov.in/#/udran_khatauni

4/4

contd.

2/20/26, 11:32 AM

भूलेख



भूलेख - खतौनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

Hindi

Download PDF

← Back

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

20/February/2026 11:32:12 AM

जनपद : झांसी

तहसील : झांसी

ग्राम : लहरगिर्द

ग्राम कोड : 218690

फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027)

खाता संख्या : 00743

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।

खसरा/ गाटा संख्या	खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण			खातेदार का अंश	
	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6- 9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या / अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनिक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व	
777/2मि	1) श्यामलाल / पुत्र गुन्दे / नि. ग्राम 2) धूपसिंह / पुत्र गुन्दे / नि. ग्राम 3) आशाराम / पुत्र गुन्दे / नि. ग्राम 4) बालकिशुन / नारायनसिंह / नि. ग्राम 5) जगदीश / नारायनसिंह / नि. ग्राम 6) कन्हैयालाल उर्फ महेंद्र / नारायनसिंह / नि. ग्राम		1360फ.	777/2मि (2186900777300712)	0.1250			1.00	

https://upbhulekh.gov.in/#/udran_khalauni

1/6

contd.

2/20/26, 11:32 AM

भूलेख

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

खसरा/ गाटा संख्या	खातेदार का विवरण	खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण	भूमि का विवरण		खातेदार का अंश			
	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैर नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या / अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
	7) प्रभूदयाल / नारायनसिंह / नि. ग्राम 8) श्रीमती भगवती / पत्नी स्व.नारायनसिंह / नि. ग्राम 9) सुभाशीष मोर्या / सुभाषचन्द्र / नि.सी.19न्यू रायगंज कालौनी सीपरी बाजार							

कुल गाटे : एक	कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव एक दो पांच शून्य (हेक्टेयर)	कुल भू-राजस्व : एक दशमलव शून्य शून्य रुपये
---------------	---	--

https://upbhulekh.gov.in/#/udran_khatauni

2/6

contd.

2/20/26, 11:32 AM

मूलख

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण (10)		खारिज किया गया			दर्ज किया गया	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
गयालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	क्षेत्रफल(हे०)	नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	क्षेत्रफल(हे०)
1) ऑनलाइन उत्तराधिकार / 2024616600860002308 / 02-11-2024 / वरासत / Lachchi Ram (रजिस्ट्रार कानूनगो) / 06-11-2024 2) ऑनलाइन उत्तराधिकार / 2025616600860002632 / 06-12-2025 / वरासत / Mukesh Kumar (रजिस्ट्रार कानूनगो) / 09-12-2025	1.1) श्यामलाल/पुत्र गुन्दे/नि. ग्राम (: -) 2.1) आशाराम/पुत्र गुन्दे/नि. ग्राम (: -)	777/2मि (2186900777300712)	1.1) 0.0000 2.1) 0.0000	1.1) कु० झोफाली राजपूत / स्व० सुरेन्द्र सिंह राजपूत / लहरगिर्द झांसी 1.2) कोमल सिंह राजपूत / स्व० श्यामलाल / लहरगिर्द झांसी 1.3) श्रीमती चंदा / स्व० सुरेन्द्र सिंह राजपूत / लहरगिर्द झांसी 1.4) संजय सिंह राजपूत / स्व० श्यामलाल / लहरगिर्द झांसी 2.1) अखिलेश राजपूत / आशाराम / लहरगिर्द सीपरी बाजार झांसी	777/2मि (2186900777300712)	1.1) 0.0000 1.2) 0.0000 1.3) 0.0000 1.4) 0.0000 2.1) 0.0000 2.2) 0.0000 2.3) 0.0000

https://upbhulekh.gov.in/#/udran_khatauni

3/6

contd.

2/20/26, 11:32 AM

मूलिख

	2.2) द्रोपती / आशाराम / लहरगिर्द सीपरी बाजार झोंसी				
--	--	--	--	--	--

आशासनालय

4/6

https://upbnulekh.gov.in/#/udran_khatauni

contd.

2/20/26, 11:32 AM

भूलख

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्यक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण :

- 1) 1427फ० व आदेश श्रीमान न्या० नायब तहसीलदार झांसी वाद सं० 670/2019/7201906370105422 दि० 6-11-19 मौजा- लहर गिर्द झांसी की खतोनी बर्ष 1423-1428 फ० तक के खाता संख्या 723 के गाटा संख्या 777/2मि०/0.125 हे० में से 0.0125 हे० वय मालगुजारी 60ख के अनुसार पर से विक्रेता श्यामलाल पुत्र गुन्दे निवासी 79 लहर गिर्द तहसील व जिला झांसी के नाम के साथ क्रेता सतीश कुमार खरे पुत्र बाबूराम खरे निवासी बी-113 दीनदयाल नगर खाती बाबा तहसील व जिला झांसी का नाम जरिये रजिस्टर्ड वैनामा दिनांक 28.05.2013 के आधार पर वतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज हो। जरिये पत्रावली ह०अप०आर०के०दि० 11-11-19
- 2) 1429फ० व आदेश श्रीमान न्या.तहसीलदार झांसी वाद सं. 4115/2021/720210637011341/22.10.21 मौजा लहरगिर्द तहसील व जिला झांसी की खतोनी बर्ष 1423-1428 फसली के खाता संख्या 723 के गाटा संख्या 777/2मि. रकवा 0.125हे. में से रकवा 0.0122हे. वय भूरा.60ख के अनुसार पर से विक्रेता/खातेदार जगदीश पुत्र नारायण सिंह निवासी 79, लहरगिर्द तहसील व जिला झांसी के नाम के साथ क्रेता सतीश कुमार खरे पुत्र प्रेमनारायण खरे व श्रीमती रेखा खरे पत्नी संतोष कुमार खरे निवासीगण 203/बी. गायत्री मन्दिर रोड, आँटिया तालाब, बाहर खण्डेराव गेट, तहसील व जिला झांसी का नाम पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.07.2014 के आधार पर वतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज हो। जरिये परवाना। ह.अप.आर.के.27.10.21
- 3) 1429 फ० व आदेश श्रीमान न्या. तहसीलदार झांसी वाद सं.1170/2022/टी202206370102639/01.06.2022 मौजा लहरगिर्द तहसील व जिला झांसी की खतोनी बर्ष 1429-1434 फसली के खाता संख्या 743 के गाटा संख्या 777/2मि. रकवा 0.125 हे० में से रकवा 0.0069 हे० वय भू०रा००60ख के अनुसार पर से विक्रेता/खातेदार धूप सिंह पुत्र स्व. गुन्दे निवासी पंचायत भवन के पीछे लहरगिर्द, तहसील व जिला झांसी के नाम के साथ क्रेता राजकुमार श्रीवास्तव पुत्र शिवशंकर लाल निवासी कृष्णा इन्क्लेव लहरगिर्द तहसील व जिला झांसी का नाम पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21.06.2013 के आधार पर वतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज हो। जरिये परवाना ह.अप.आर.के.30.06.2022
- 4) 1429 फ० व आदेश श्रीमान न्या. तहसीलदार झांसी वाद सं.1171/2022/टी202206370102640/06.06.2022 मौजा लहरगिर्द तहसील व जिला झांसी की खतोनी बर्ष 1429-1434 फसली के खाता संख्या 743 के गाटा संख्या 777/2मि. रकवा 0.125 हे० में से रकवा 0.0162 हे० वय भू०रा००60ख के अनुसार पर से विक्रेता/खातेदार धूप सिंह पुत्र स्व. गुन्दे निवासी पंचायत भवन के पीछे लहरगिर्द तहसील व जिला झांसी के नाम के साथ क्रेता कनकलता श्रीवास्तव पुत्री शिवकुमार लाल निवासी 555च/4सी गली नम्बर 42, रामनगर आलमबाग लखनऊ 20950 का नाम पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21.06.2013 के आधार पर वतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज हो। जरिये परवाना ह.अप.आर.के.30.06.2022
- 5) 1430फ० व आदेश राजस्व निरीक्षक रक्सा वाद सं. 202361660086000035/17.01.23 मौजा लहरगिर्द के खाता सं. 743, 744, 745, 746, 747, 748 पर दर्ज मूलक खातेदार धूप सिंह पुत्र गुन्दे का नाम खारिज होकर उनके स्थान पर देवेंद्र राजपूत, शुभम राजपूत पुत्रगण धूप सिंह निवासीगण लहरगिर्द का नाम बरसतन दर्ज हो। जरिये बरसतन ह.अप.आर.के.18.01.23
- 6) 1430 फ० व आदेश श्री मान न्या. तहसीलदार झांसी वाद सं. 4784/2022/7202206370115404/21.05.2023 मौजा लहरगिर्द तहसील व जिला झांसी की खतोनी बर्ष 1429-1434 फसली के खाता संख्या 743 के गाटा सं० 777/2मि० रकवा 0.125 हे० में से 0.0139 हे० वय भू०रा००60ख के अनुसार पर से विक्रेता/खातेदार सुभाषीष मौर्या पुत्र सुभाष चन्द्र निवासी 2608/5 लहरगिर्द नजदीक लहर की देवी मन्दिर तहसील व

https://upbhulekh.gov.in/#/udtran_khatauni

5/6

contd.

2/20/26, 11:32 AM

भूलेख

जिला झॉंसी के नाम के साथ क्रेता संदीप मौर्या पुत्र सुभाष चन्द्र निवासी भीतर कोट महोबा का नाम पंजीकृत बैनामा दिनांक 29.11.2022 के आधार पर वतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज हो। जरिये परवाना। ह. अप. आर. के. 18.07.2023

7) व आदेश न्या.तह.झॉंसी वाद सं. T202206370115404/17.08.23 मौजा लहरगिर्द तहसील व जिला झॉंसी की खतोनी वर्ष 1429-1434 फसली के खाता सं0 743 के गाटा संख्या 777/2मि रकबा 0.125 हे0 मे से 0.0139 हे0 वय 40र060ख के अनुसार पर से दानकर्ता/खातेदार सुभाषीष मौर्या पुत्र सुभाष चन्द्र निवासी 2608/5 लहरगिर्द नजदीक लहर की देवी मन्दिर तहसील व जिला झॉंसी का नाम खारिज होकर उनके स्थान पर दानग्रहीता संदीप मौर्या पुत्र सुभाष चन्द्र निवासी भीतर कोट महोबा का नाम पंजीकृत दानपत्र दिनांक 29.11.2022 के आधार पर वतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार को संशोधित कर सम्पूर्ण अंश दर्ज हो। जरिये परवाना। ह. अप. 16.12.23

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद प्रस्त/विक्रय/भू-नक्शा/नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

Disclaimer: उक्त ऑकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एम सी एस सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

https://upbhulekh.gov.in/#/udran_khatauni

6/6

contd.

2/20/26, 11:28 AM

भूलेख



भूलेख - खतौनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

Hindi

Download PDF
← Back

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

20/February/2026 11:27:56 AM

जनपद : झांसी

तहसील : झांसी

ग्राम : लहरगिर्द

ग्राम कोड : 218690

फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30
जून, 2027)
खाता संख्या : 00396

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।

खसरा/ गाटा संख्या	खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश			
	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक- प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व		
777/2मि.	1) प्रवेशकुमार / जगदीशसिंह / नि. ग्राम		1360फ.	777/2मि. (2186900777300212)	0.4980			0.00		

https://upbhulekh.gov.in/#/udtran_knatauni

1/12

contd.

2/20/26, 11:28 AM

भूलेख

2) साहवसिंह / कोमलसिंह / नि. ग्राम					
3) केहरसिंह / कोमलसिंह / नि. ग्राम					
4) नरेन्द्रसिंह / कोमलसिंह / नि. ग्राम					
5) शैलेन्द्रसिंह / कोमलसिंह / नि. ग्राम					
6) पुष्पेन्द्रसिंह / कोमलसिंह / नि. ग्राम					

कुल गाटे : एक

कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव चार नौ आठ शून्य (हेक्टेयर)

कुल भू-राजस्व : शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

https://upbhulekh.gov.in/#/udran_khatauni

2/12

contd.

2/20/26, 11:28 AM

भूलेख

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
	(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड

https://upbhulekh.gov.in/#/udran_khatauni

3/12

contd.

Hindi

Download PDF

Back



भूलेख - खतौनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

जनपद : झांसी

तहसील : झांसी

ग्राम : लहरगिर्दी

ग्राम कोड : 218690

फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027)

खाता संख्या : 00163

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।

खसरा/ गाटा संख्या	खातेदार का विवरण	खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण			खातेदार का अंश	
	(2) नाम/पिता-पति-सरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैम नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (पूर्विक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
777/3	1) कोटीराम / लालाराम / नि. ग्राम 2) चेताराम / लालाराम / नि. ग्राम 3) रामभरोसे / लीलाधर / नि.240, सिविल लाइन झांसी 4) कृष्ण कुमार अवस्थी / काशी प्रसाद / नि.27जवाहर चौक झांसी		1360फ.	777/3 (2186900777100312)	0.5020			4.60

कुल गाटे : एक

कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव पांच शून्य दो शून्य (हेक्टेयर)

कुल भू-राजस्व : चार दशमलव छह शून्य रुपये

https://upbhulekh.gov.in/#/udtran_khatauni

contd.

2/20/26, 11:25 AM

भूलेख

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण (10)	खारिज किया गया		दर्ज किया गया			
	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)
यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक						

https://upbhulekh.gov.in/#/udran_khatauni

2/4

contd.

2/20/26, 11:25 AM

भूलेख

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचारार्थीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण :

1) 1421फ0 व आदेश श्रीमान न्या0 उपजिलाधिकारी महो0 झाँसी के वाद सं0 38/13-14/दि0 25.03.14 महेंद्र आदि बनाम ज्ञानचन्द्र गंगावानी आदि मौजा लहरगिर्द की खतोनी वर्ष 1417-1422फ0 के खाता सं0 140 के गाटा सं0 777/3/0.502हे0 भूमि को अग्रिम आदेशों तक उभय पक्षों को विक्रय एवं निर्माण कार्य से रोका

2) जाता है। ह.अप.आर.के. दि0 07.04.14

3) 1422फ0 व आदेश श्रीमान न्या0परानामाधिकारी महो0 झाँसी के वाद सं0 38/13-14/दि0 15.12.14 महेंद्र आदि बनाम ज्ञानचन्द्र गंगावानी आदि इस न्यायालय के आदेश दि0 15.12.14 के द्वारा मौजा लहरगिर्द की खतोनी वर्ष 1417-1422फ0 के खाता सं0 140 गाटा सं0 777/3 रकवा 0.502हे0 पर पारित आदेश दि0 31.03.14

4) वापिस किया जाता है। 229बी ज030 एक्ट। ह.अप.आर.के. दि0 08.01.15

5) 1425फ. ब आदेश श्रीमान तहसीलदार झाँसी वाद सं. 779/2016-17/टी. 201706372501607/मौजा लहरगिर्द तहसील व जिला झाँसी की खतोनी वर्ष 1423-1428फ. के खाता सं. 146 के गाटा सं. 777/3 रकवा 0.502हे. में से 0.0232हे. वय मा.गु. 60ख के अनुसार पर से विक्रेता/खातेदार चेताराम पुत्र लालाराम नि. 30 लहरगिर्द तहसील व जिला झाँसी के नाम के साथ क्रेता मोहम्मद असद समद व मोहम्मद अहद समद पुत्रगण अख्तर समद निवासीगण सिविल लाइन तहसील व जिला झाँसी का नाम पंजीकृत बैनामा दिनांक 2-12-2013 के आधार पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज हो। जरिये पत्रावली बैनामा। ह.अप. आर.के. दिनांक 19-7-2017

6) 1426फ.व आदेश श्रीमान तहसीलदार न्यायिक झाँसी वाद सं.टी 201806370103235/दि.12-7-2018/मौजा लहरगिर्द तहसील झाँसी की खतोनी वर्ष 1423-1428 फ.तक के खाता सं.146 गाटा सं. 777/3 रकवा 0.502 हे. में से 0.0036 हे. मा.गु. 60 ख के अनुसार पर से विक्रेता/खातेदार श्री कोटीराम व चेताराम पुत्रगण लालाराम बाहू श्रीमती पार्वती देवी उर्फ पार्वती साहू पत्नी प्रेमनारायण साहू निवासी 388 चिक मोहल्ला सदर वाजार तहसील झाँसी के नाम के साथ क्रेता आर्चित वधावन पुत्र अनिल कुमार वधावन निवासी 1516/1 जानकीपुरम सिविल लाइन तहसील झाँसी का नाम पंजीकृत बैनामा दिनांक 09.05.2018 के आधार पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज कागजात हो।जरिये परवाना। ह.अप.आर.के.दि.30-7-2018

7) 1426फ.व आदेश श्रीमान न्याय तहसीलदार झाँसी वाद सं.484/2018/टी 201806370103078/दि.10-9-2018/मौजा लहरगिर्द तहसील झाँसी की खतोनी वर्ष 1423-1428 फ. तक खाता सं.146 के गाटा सं.777/3/0.502हे. में से रकवा 0.0152हे. वय मालगुजारी 60ख के अनुसार पर से गैरमुदर्ज विक्रेता श्रीमती पार्वती देवी उर्फ पार्वती साहू पत्नी प्रेमनारायण साहू निवासी 388 चिक मोहल्ला सदर वाजार तहसील झाँसी व मूल विक्रेता कोटीराम व चेताराम पुत्रगण लालाराम निवासीगण लहरगिर्द तहसील झाँसी का नाम खारिज होकर उनके स्थान पर क्रेता श्रीमती नीरू बधावन पत्नी अनिल कुमार बधावन निवासी 1516/1 जानकीपुरम सिविल लाइन तहसील झाँसी का नाम जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 03.05.2018 के आधार पर विक्रेता के नाम के साथ बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज हो।जरिये पत्रावली बैनामा। ह.अप.आर.के.दि.10-9-2018

https://upbhulekh.gov.in/#/udran_khatauni

3/4

contd.

2/20/26, 11:25 AM

भूलिख

- 8) 1426फ.व आदेश श्रीमान तहसीलदार न्यायिक झांसी वाद सं.टी 20150637014126/दि.5-1-2019/मौजा लहरगिर्द तहसील झांसी की खतौनी वर्ष 1423-1428 फ. तक के खाता सं. 146 गाटा संख्या 777/3 रकबा 0.502 हे. मे से 0.0076 हे. मा.गु. 60 ख के अनुसार पर से विक्रेता/खातेदार कृष्ण कुमार अब्दुली पुत्र कालीप्रसाद निवासी 27 जवाहर चौक झांसी तहसील व जिला झांसी के नाम के साथ क्रेता श्री रामकुमार पुत्र भगवत सिंह निवासी पुनावली खुर्द तहसील व जिला झांसी का नाम पंजीकृत वैनामा दिनांक 06.08.2015 के आधार पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज कागजात हो |जरिये पत्रावली बैनामा| हे.अप.आर.के.दि.7-1-2019
- 9) 1426फ.व आदेश श्रीमान तहसीलदार न्यायिक झांसी वाद सं.टी 20150637014127/दि.5-1-2019/मौजा लहरगिर्द तहसील झांसी की खतौनी वर्ष 1423-1428 फ. तक के खाता सं. 146 गाटा संख्या 777/3 रकबा 0.502 हे. मे से 0.0076 हे. मा.गु. 60 ख के अनुसार पर से विक्रेता/खातेदार कृष्ण कुमार अब्दुली पुत्र कालीप्रसाद निवासी 27 जवाहर चौक झांसी तहसील व जिला झांसी के नाम के साथ क्रेता श्री शिवकुमार पुत्र भगवत सिंह निवासी पुनावली खुर्द तहसील व जिला झांसी का नाम पंजीकृत वैनामा दिनांक 06.08.2015 के आधार पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज कागजात हो |जरिये पत्रावली बैनामा| हे.अप.आर.के.दि.7-1-2019

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर विलक करें।

Disclaimer: उक्त ऑफडे मात्र अवलोकनार्थ हैं. उक्त विवरण अद्यतन है. तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एस.सी./लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

https://upbhulekh.gov.in/#/udran_khatauni

4/4

contd.

कार्यालय जिलाधिकारी, झांसी

संख्या 654/जे0ए0-15 जांच/2017-18 दिनांक: 13/06/2017
 विषय: पहुंज नदी के कैचमेन्ट एरिया में अतिक्रमण से संबंधित कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

ममम
14-6-17

- 1- सचिव,
झांसी विकास प्राधिकरण
झांसी।
- 2- अधिशासी अभियंता,
झांसी प्रखण्ड गेलवा नगर झांसी।
- 3- नगर आयुक्त,
नगर निगम झांसी।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रगारी)
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झांसी।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 633/जे0ए0-15 जांच/2017-18 दिनांक 08-6-2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा पहुंज नदी के कैचमेन्ट एरिया में अतिक्रमण से संबंधित बिन्दुओं पर कमियों/त्रुटियों का निराकरण करते हुये आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है, परन्तु खेद का विषय है कि प्रश्नगत प्रकरण में कृत कार्यवाही से अभी तक अवगत नहीं कराया गया है।

अतः पहुंज नदी कैचमेन्ट एरिया में अतिक्रमण से संबंधित गठित समित द्वारा स्थलीय निरीक्षण आख्या दिनांक 30-5-2017 (छाया प्रतिलिपि संलग्न) इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया जांच आख्या में उल्लिखित बिन्दुओं के संबंध में अपने विभाग से सम्बन्धित इंगित कमियों/त्रुटियों का निराकरण कराते हुये कृत कार्यवाही से एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में अवगत कराना सुनिश्चित करें तथा समय समय पर जारी किये गये शासनादेश/नियमों का कड़ाई से अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

म. अतिक्रमण

कृत प्रमाणित कार्यवाही
 की गई
 14-6-17

(प्रताप सिंह भदौरिया)

नगर आयुक्त
 झांसी नगर निगम, झांसी

(कर्ण सिंह चौहान)
 जिलाधिकारी, झांसी

13/06/2017

contd.

जिलाधिकारी,
झॉंसी।

महोदय,

गृपरा कैम्प कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 227/ओ0एरा0डी0 दिनांक 13-5-2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 मंत्री ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह " मोती सिंह " जी, जो कि जनपद झॉंसी के मा0 प्रभारी मंत्री भी नामित हैं, के दिनांक 12-5-2017 को " जिला स्तरीय योजना समिति " की समीक्षा उपरान्त दिनांक 13-5-2017 जनपद की विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण के समय ग्वालियर-शिवपुरी बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 25 (नया-27) के किमी0 संख्या- 92.300 से सलग्न निकली हुई " पहुँज नदी " के कैचमेन्ट एरिया को अतिक्रमित कर अवैध निर्माण पाये जाने पर मा0 मंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में महोदय द्वारा अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सचिव, झॉंसी विकास प्राधिकरण, झॉंसी, उप जिलाधिकारी, झॉंसी, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम झॉंसी, अधिशूासी अभियन्ता वेतवा प्रखण्ड झॉंसी एवं क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी झॉंसी की टीम का गठन कर, गठित टीम को अतिक्रमित भूमि का अभिलेखों से मिलान करके नदी के कैचमेन्ट एरिया का स्थल निरीक्षण कर राजस्व अभिलेखों के अनुसार अतिक्रमित भूमि, अवैध खनन, कालोनियों का निर्धारित मापदण्ड के विपरीत निर्माण व विकास एवं विभाग द्वारा दी गयी अनापत्ति, पर्यावरण की क्षति आदि के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

OSD
30/5/2017
उक्त आदेश के अनुपालन में मेरे द्वारा गठित टीम के सभी अधिकारियों एवं खान अधिकारी, झॉंसी के साथ दिनांक 19-5-2017 को शिवपुरी-ग्वालियर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 25 (नया-27) के किमी0 संख्या- 92.300 से सलग्न निकली पहुँज नदी के पुल की नाप कराई गयी एवं शिवपुरी-ग्वालियर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग से सीपरी बाजार- शिवपुरी मार्ग पर बने पुराने व नये पुल तक के कैचमेन्ट एरिया का स्थलीय निरीक्षण किया गया एवं सजरा मुताबिक नदी की चौड़ाई की नाप कई जगह कराकर उसे चिह्नित कराया गया एवं राजस्व विभाग, विकास प्राधिकरण व सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखानुसार नदी का कैचमेन्ट एरिया, हरित पट्टी व नदी के अधिकतम बाढ़ क्षेत्र को चिह्नित कर उसमें हुए अवैध निर्माण/विकास कार्य की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

सिंचाई विभाग व विकास प्राधिकरण एवं राजस्व टीम द्वारा किये गये प्रारम्भिक कार्य में अब तक हुई प्रगति कार्य की जानकारी के लिए दिनांक 24-5-2017 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा गठित टीम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गयी। जिसमें टीम के सभी अधिकारी उपस्थित रहे, अधिशूासी अधिकारी वेतवा नहर प्रखण्ड द्वारा बताया गया कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार वर्ष 1967 में आई अधिकतम बाढ़ में पहुँज नदी के अर्न्तगत झॉंसी की ओर ऊँचा क्षेत्र होने के कारण नदी से शिवपुरी मार्ग की ओर अधिकतम 205 मीटर एवं न्यूनतम 135 मीटर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बताया गया। जिसके आधार पर दिनांक 25-5-2017 की प्रातः से राजस्व, विकास प्राधिकरण, सिंचाई विभाग, नगर निगम की टीम को मौके पर स्थलीय निरीक्षण कर नदी के

contd.

(39)

(2)

कैचमेन्ट एरिया, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को चिन्हाकन करते हुए अपने-अपने विभाग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निदेश दिये गये। विभागों द्वारा अपनी-अपनी निम्न रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी :-

1- अधिशासी अभियन्ता झाँसी प्रखण्ड वेतवा नहर, झाँसी द्वारा कार्यालय के पत्रांक एस-92/झाँ0प्र0/224 दिनांक 26 मई, 2017 द्वारा अवगत कराया गया कि उपलब्ध अभिलेख एवं दिनांक 19-5-2017 व 25-5-2017 को किये गये सर्वे के उपरान्त पहुँज नदी के आंकड़े निम्नानु है:-

- (1)- नदी का कैचमेन्ट एरिया : 311 वर्ग किमी0 (120 वर्गमील)
- (2)- अधिकतम निस्सरण(Flood discharge) : 54000क्यूसेक (1528 क्यूसेक)
- (3)- वर्ष 1967 में पहुँज नदी में आयी बाढ़ के अनुसार अधिकतम बाढ़ स्तर (एच0एफ0एल0) 235.03 मीटर रहा जिसके अनुसार शजरा सीट पर बाढ़ क्षेत्र चिन्हांकित है, शजरा सीट के अनुसार विभिन्न चैनज पर नदी के बाढ़ क्षेत्र की चौड़ाई अंकित की गयी है। जिसके अनुसार नदी के बाढ़ क्षेत्र की अधिकतम चौड़ाई (नदी की चौड़ाई 45 मीटर एवं तत्पश्चात बाढ़ क्षेत्र की चौड़ाई 160 मीटर) कुल 205 मीटर एवं न्यूनतम 135 मीटर पाई गयी। (शजरा सीट पर विवरण संलग्न है)
- (4)- ग्वालियर-शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 25 नया 27 के किमी0 92.300 पर निर्मित पुल की कुल लम्बाई 129.00 मीटर (Over all length) एवं सीपरी बाजार-शिवपुरी मार्ग पर स्थित पुराने पुल की लम्बाई 105 मीटर तथा उससे सटे बने पुल की लम्बाई 129.00 मीटर है।
- (5)- जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त विवरण के अनुसार पहुँज नदी के बाढ़ क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत जो भी निर्माण कार्य कराये गये हैं या कराये जा रहे हैं वह पूर्णतः नदी के बाढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। जो बाढ़ क्षेत्र के अतिक्रमण की श्रेणी में है उसकी सिंचाई विभाग द्वारा किसी भी तरह की कोई अनुमति/अनापत्ति किसी भी संस्था को नहीं दी गयी है। (छायाप्रति संलग्न)

2- सचिव, झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी द्वारा कार्यालय के पत्र संख्या- 271/जे0डी0 ए0/2017-18. दिनांक 26 मई, 2017 द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 19-5-2017 व 25-5-2017 को गठित टीम के साथ प्रश्नगत स्थल की पैमाइश कराई गयी, सिंचाई विभाग द्वारा उच्चतम बाढ़ स्तर के समय प्रभावित होने वाले जल फ्लावन क्षेत्र की पैमाइश कराकर चिन्हाकन कराया गया जिसके अनुसार नदी को शामिल करते हुए 205.00 मीटर अधिकतम तथा 135.00 मीटर न्यूनतम चौड़ाई जल फ्लावन क्षेत्र चिन्हित किया गया जिसके अन्तर्गत निम्न निर्माण बिना

(Handwritten signatures)

contd.

रिपोर्ट प्रस्तुत

72
38

(2)

कैचमेन्ट एरिया, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को चिन्हाकन करते हुए अपने-अपने विभाग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। विभागों द्वारा अपनी-अपनी निम्न रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी :-

1- अधिशासी अभियन्ता झॉंसी प्रखण्ड वेतवा नहर, झॉंसी द्वारा कार्यालय के पत्रांक-एस-92/झॉंसी/224 दिनांक 26 मई, 2017 द्वारा अवगत कराया गया कि उपलब्ध अभिलेख एवं दिनांक 19-5-2017 व 25-5-2017 को किये गये सर्वे के उपरान्त पहुँज नदी के आंकड़े निम्नवत् हैं:-

- (1)- नदी का कैचमेन्ट एरिया : 311 वर्ग किमी0 (120 वर्गमील)
- (2)- अधिकतम निस्सरण(Flood discharge) : 54000क्यूसेक (1528 क्यूसेक)
- (3)- वर्ष 1967 में पहुँज नदी में आयी बाढ़ के अनुसार अधिकतम बाढ़ स्तर (एच0एफ0एल0) 235.03 मीटर रहा जिसके अनुसार शजरा सीट पर बाढ़ क्षेत्र चिन्हांकित है, शजरा सीट के अनुसार विभिन्न चैनेज पर नदी के बाढ़ क्षेत्र की चौड़ाई अंकित की गयी है। जिसके अनुसार नदी के बाढ़ क्षेत्र की अधिकतम चौड़ाई (नदी की चौड़ाई 45 मीटर एवं तत्पश्चात बाढ़ क्षेत्र की चौड़ाई 160 मीटर) कुल 205 मीटर एवं न्यूनतम 135 मीटर पाई गयी। (शजरा सीट पर विवरण संलग्न है)
- (4)- ग्वालियर-शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 25 नया 27 के किमी0 92.300 पर निर्मित पुल की कुल लम्बाई 129.00 मीटर (Over all length) एवं सीपरी बाजार-शिवपुरी मार्ग पर स्थित पुराने पुल की लम्बाई 105 मीटर तथा उससे सटे बने पुल की लम्बाई 129.00 मीटर है।
- (5)- जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त विवरण के अनुसार पहुँज नदी के बाढ़ क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत जो भी निर्माण कार्य कराये गये है या कराये जा रहे हैं वह पूर्णतः नदी के बाढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत आते है। जो बाढ़ क्षेत्र के अतिक्रमण की श्रेणी में है उसकी सिंचाई विभाग द्वारा किसी भी तरह की कोई अनुमति/अनापत्ति किसी भी संस्था को नहीं दी गयी है। (छायाप्रति संलग्न)

2- सचिव, झॉंसी विकास प्राधिकरण, झॉंसी द्वारा कार्यालय के पत्र संख्या- 271/जे0डी0 ए0/2017-18 दिनांक 26 मई, 2017 द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 19-5-2017 व 25-5-2017 को गठित टीम के साथ प्रश्नगत स्थल की पैमाइश कराई गयी, सिंचाई विभाग द्वारा उच्चतम बाढ़ स्तर के समय प्रभावित होने वाले जल फ्लावन क्षेत्र की पैमाइश कराकर चिन्हाकन कराया गया जिसके अनुसार नदी को शामिल करते हुए 205.00 मीटर अधिकतम तथा 135.00 मीटर न्यूनतम चौड़ाई जल फ्लावन क्षेत्र चिन्हित किया गया जिसके अन्तर्गत निम्न निर्माण बिना

(Handwritten signatures and initials)

contd.

(3)

(3)

सिंचाई एवं नगर निगम की अनापत्ति प्राप्त किये तथा विना जे0डी0ए0 से नक्शा पास कराया गया है।

क्रमांक	निर्माणकर्ता का नाम	निर्माण का स्वरूप	क्षेत्रफल
1	2	3	4
1	श्री सुरेश कुमार पुत्र भगवान दास	मकान	1500 वर्ग फुट
2	श्री जगदीश सेन पुत्र दयाराम	मकान	1000 वर्ग फुट
3	श्री अरविन्द सेन पुत्र दयाराम	मकान	1000 वर्ग फुट
4	श्री अहिरवार	अर्द्धनिर्मित मकान	500 वर्ग फुट
5	श्री पंकज ठाकुर पुत्र कल्लू सिंह	मकान	480 वर्ग फुट
6	श्रीमती शान्ती देवी पत्नी संग्राम सिंह	मकान	744 वर्ग फुट
7	श्री रिकू साहू	अर्द्ध निर्मित मकान	1500 वर्ग फुट
8	श्री इग्लेन्द्र सिंह	मकान	1000 वर्ग फुट
9	श्रीमती प्रतिभा यादव पत्नी संजय यादव	मकान	1000 वर्ग फुट
10	श्री दीपक सिंह पुत्र यशपाल सिंह	मकान	850 वर्ग फुट
11	श्रीमती कीर्ती सिंह पत्नी सोवरन सिंह	मकान	800 वर्ग फुट
12	श्री विक्की चौधरी	मकान	750 वर्ग फुट
13	श्री सुनील कुमार पुत्र राम नाथ	मकान	1500 वर्ग फुट
14	श्री रणजीत सिंह सेंगर	मकान	882 वर्ग फुट
15	श्रीमती ऊषा चौबे पत्नी रमेश चन्द्र चौबे	मकान	1200 वर्ग फुट
16	श्री पी0 सी0 वर्मा	मकान	1500 वर्ग फुट
17	श्री दिनेश वाल्मीकि पुत्र प्रेम सिंह	मकान	1000 वर्ग फुट
18	श्री दिनेश पुरोहित	मकान	1000 वर्ग फुट
19	श्री अशोक सनफ़ान प्रा0 लि0	ऑफिस/ मकान	1066 वर्ग फुट
20	श्री अशोक सनफ़ान प्रा0 लि0	गेट	550 वर्ग फुट
21	धोबीघाट झॉसी विकास प्राधिकरण	धोबीघाट	2100 वर्ग फुट
22	श्री सुरेश पुत्र श्याम लाल	मकान	2450 वर्ग फुट
23	जय एकेडमी स्कूल	स्कूल	0.900 हेक्टेयर

झॉसी महानगर योजना 2021 के अनुसार नदी की चौड़ाई शिवपुरी-ग्वालियर वाईपास पुल के पास 64.00 मीटर तथा सीपरी- शिवपुरी मार्ग पर 56.00 मीटर है, बीच में नदी की चौड़ाई 56.00 मीटर है यहाँ हरित पट्टी की चौड़ाई शिवपुरी की तरफ कमशः 72.00 मीटर, 64.00 मीटर तथा 44.00 मीटर है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि नवराज डेवेलपर्स द्वारा हरित पट्टी क्षेत्र में भिट्टी भराई कर विकास कार्य कराया जा रहा था जिसे स्थल पर बंद कराते हुए

(Handwritten signatures and marks)

contd.

(36)

70

(4)

विकासकर्ता के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुरंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है। (छायाप्रति संलग्न)

3- उप जिलाधिकारी, झाँसी द्वारा दिनांक 26-5-2017 को रिपोर्ट प्रेषित कर अवगत कराया गया कि उनके द्वारा गठित टीम के साथ दिनांक 19-5-2017 व 25-5-2017 को नगर निगम, सिंचाई विभाग व विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति में माँजा लहर गिर्द स्थित पहुँज नदी की आराजी संख्या- 138 की पैमाइश गाटा संख्या- 86 में स्थित स्थायी बिन्दु कूप से की गयी, राजस्व शजरा के अनुसार नदी की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया सिंचाई विभाग द्वारा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का शजरा उपलब्ध कराया गया, जिसके अनुसार पैमाइश कर बाढ़ प्रभावित भूमि का सीमांकन कर निशान लगवाये गये, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में गाटा संख्या- 137 सम्पूर्ण रकवा तथा गाटा संख्या- 96, 129, 130, 135, 136, 145, 755, 775, 776 व 777 आंशिक रूप से प्रभावित होते हैं। आराजी संख्या- 137 का कुल क्षेत्रफल 4.516 हे० है जिसमें 0.093 हे० रकवा मकुन्द लाल मेहरोत्रा, 1.987 हे० रकवा नवराज डेवलपर्स, 1.590 हे० रकवा बांके बिहारी गृह निर्माण सहकारी समिति के नाम संक्रमणीय भूमिधर तथा 0.846 हे० रकवा नगर निगम का है। स्थलीय निरीक्षण के समय नगर निगम की भूमि मौके पर रिक्त पायी गयी जिसमें पेड़ लगे हुए हैं। गाटा संख्या- 96 का कुल क्षेत्रफल 0.354 हे० है जिसमें 0.152 हे० रकवा मनीराम आदि के नाम व 0.172 हे० रकवा राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। गाटा संख्या- 129 का कुल क्षेत्रफल 2.286 हे० है जो कि मंगलदास, श्रीमती कृष्णा, श्रीमती गीता अग्रवाल के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। गाटा संख्या- 130 का कुल क्षेत्रफल 1.562 हे० है जो अर्जुन आदि के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। गाटा संख्या- 136 का कुल क्षेत्रफल 0.218 हे० है जिसमें 0.150 हे० भूमि शैलेन्द्र आदि एवं 0.068 हे० भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। गाटा संख्या- 135 का कुल क्षेत्रफल 0.324 हे० है जिसमें 0.264 हे० भूमि शैलेन्द्र आदि तथा 0.060 हे० भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है, गाटा संख्या- 145 का कुल रकवा 0.793 हे० है जिसमें 0.773 हे० भूमि दरौआ तथा 0.020 हे० भूमि नगर निगम की है जो मौके पर रिक्त पड़ी है, गाटा संख्या- 755 का कुल रकवा 4.783 हे० है, जिसमें 1.534 हे० भूमि परम आदि, 1.655 हे० भूमि पुष्कर सिंह आदि एवं 1.594 हे० भूमि नगर निगम की है जो मौके पर रिक्त पड़ी है, गाटा संख्या- 775 का कुल क्षेत्रफल 0.215 हे० है जो चन्दन सिंह आदि के नाम दर्ज है, गाटा संख्या- 776 का कुल रकवा 0.789 हे० है जो सन्तोष सिंह आदि के नाम दर्ज है एवं गाटा संख्या- 777 का कुल क्षेत्रफल 1.525 हे० है जो गनेश प्रसाद आदि के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। पहुँज नदी की पूर्व की दिशा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 180 मीटर लम्बी बाउण्ड्री वाल वनी है अन्य कोई निर्माण नहीं है एवं नदी के पश्चिम दिशा में निम्न व्यक्तियों द्वारा निर्माण कार्य करना पाया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

(Handwritten signatures and marks)

contd.

(5)

क्रमांक	निर्माणकर्ता का नाम	निर्माण का स्वरूप	क्षेत्रफल
1	2	3	4
1	श्री सुरेश कुमार पुत्र भगवान दास	मकान	1500 वर्ग फुट
2	श्री जगदीश सेन पुत्र दयाराम	मकान	1000 वर्ग फुट
3	श्री अरविन्द सेन पुत्र दयाराम	मकान	1000 वर्ग फुट
4	श्री अहिरवार	अर्द्धनिर्मित मकान	500 वर्ग फुट
5	श्री पंकज ठाकुर पुत्र कल्लू सिंह	मकान	480 वर्ग फुट
6	श्रीमती शान्ती देवी पत्नी संग्राम सिंह	मकान	744 वर्ग फुट
7	श्री रिकू साहू	अर्द्ध निर्मित मकान	1500 वर्ग फुट
8	श्री इग्लेन्द्र सिंह	मकान	1000 वर्ग फुट
9	श्रीमती प्रतिभा यादव पत्नी संजय यादव	मकान	1000 वर्ग फुट
10	श्री दीपक सिंह पुत्र यशपाल सिंह	मकान	850 वर्ग फुट
11	श्रीमती कीर्ती सिंह पत्नी सोवरन सिंह	मकान	800 वर्ग फुट
12	श्री विक्की चौधरी	मकान	750 वर्ग फुट
13	श्री सुनील कुमार पुत्र राम नाथ	मकान	1500 वर्ग फुट
14	श्री रणजीत सिंह सेंगर	मकान	882 वर्ग फुट
15	श्रीमती ऊषा चौबे पत्नी रमेश चन्द्र चौबे	मकान	1200 वर्ग फुट
16	श्री पी० सी० वर्मा	मकान	1500 वर्ग फुट
17	श्री दिनेश वाल्मीकि पुत्र प्रेम सिंह	मकान	1000 वर्ग फुट
18	श्री दिनेश पुरोहित	मकान	1000 वर्ग फुट
19	श्री अशोक सनफान प्रा० लि०	ऑफिस/ मकान	1066 वर्ग फुट
20	श्री अशोक सनफान प्रा० लि०	गेट	550 वर्ग फुट
21	धोबीघाट झॉरसी विकास प्राधिकरण	धोबीघाट	2100 वर्ग फुट
22	श्री सुरेश पुत्र श्याम लाल	मकान	2450 वर्ग फुट
23	जय एकेडमी स्कूल	स्कूल	0.900 हैक्टेयर

(छायाप्रति सलंगन)

4- सम्पत्ति अधिकारी, नगर निगम झॉरसी द्वारा कार्यालय के पत्रांक- 60/स०नि० /न०नि०/2017-18 दिनांक 26-5-2017 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि नवराज डेवलपर्स प्रा० लि० द्वारा डायरेक्टर श्री राजीव राय पुत्र शम्भू दयाल राय निवासी छनियापुरा शहर के द्वारा मौजा लहरगिर्द की आराजी संख्या- 137 मि० रकबा 1.987 हे० भूमि के जुज भाग का प्रार्थना पत्र तहसील झॉरसी की अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 4-4-2016 की छायाप्रति सहित वांछित अभिलेखों सहित प्राप्त हुआ था, जिसमें सम्पत्ति विभाग में उपलब्ध खतौनी वर्ष 1417

contd.

(35)

68

(6)

लगायत 1422 फराली तथा वर्ष 1416 फराली के खरारा के अनुसार आराजी संख्या- 137 मि0 रकवा 0.668 हे0 भूमि श्रेणी 5-1 बंजर तथा आराजी संख्या- 137 मि0 रकवा 0.178 हे0 भूमि श्रेणी 6-4 पत्थर में दर्ज कागजात है। यह भूमि सरकारी है जिस कारण इनको अनापत्ति प्रमाणपत्र विनाशित टिप्पणी के प्रतिबन्धों सहित दी गयी थी कि नगर निगम की भूमि एवं पहुँज नदी की भूमि को राजस्व विभाग की मदद से सीमांकन/चिन्हांकन कराकर भूमि को अलग करेंगे। दिना 24/01/2017 को पहुँचाये अपनी जमीन में कार्य करेंगे। जिस पर नगर निगम को कोई आपत्ति नहीं होगी। उपरोक्त शर्तों के साथ उक्त प्रार्थना पत्र का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। इसका उल्लंघन करने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। दिनांक 19-4-2017 को निरीक्षण के समय देखा गया कि नव राज डेवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा डायरेक्टर श्री राजीव राय पुत्र श्री शम्भू दयाल राय निवासी छनियापुरा शहर झॉंसी के द्वारा शर्तों का बगैर पालन किये तथा बगैर राजस्व विभाग द्वारा भूमि का सीमांकन/चिन्हांकन किये प्रश्नगत स्थल पर मिट्टी भराई का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था जिस कारण इनके द्वारा शर्तों का उल्लंघन किया गया था। शर्तों के उल्लंघन के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो गयी है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत स्थल का ले-आउट स्वीकृत न किये जाने एवं सिंचाई विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु दिनांक 19-4-2017 को सचिव, झॉंसी विकास प्राधिकरण झॉंसी एवं मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग झॉंसी को पत्र प्रेषित किया गया था। दिनांक 19-4-2017 एवं दिनांक 19-5-2016 को निर्गत किये गये पत्रों की छायाप्रति एतद् पत्र के साथ सलंगन कर प्रेषित है। दिनांक 25-5-2017 को सक्षम अधिकारियों की उपस्थिति में राजस्व टीम के द्वारा प्रश्नगत स्थल का सीमांकन/चिन्हांकन किया गया मौके पर राजस्व टीम के द्वारा अवगत कराया गया कि आराजी संख्या- 137 मि0 रकवा 0.668 हे0 भूमि श्रेणी 5-1 बंजर तथा आराजी संख्या- 137 मि0 रकवा 0.178 हे0 भूमि श्रेणी 6-4 पत्थर में दर्ज कागजात है यह भूमि पहुँज नदी के किनारे स्थित है। उक्त भूमि पर वर्तमान में वृक्षारोपण किया हुआ है तथा मौके पर खाली है की आख्या प्रस्तुत की गयी। (छायाप्रति सलंगन)

5- खान अधिकारी, झॉंसी द्वारा दिनांक 27-5-2017 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि दिनांक 19-5-2017 को गठित टीम के साथ मौके पर उपस्थित रहकर देखा कि पहुँज नदी के किनारे हाईवे के पास लहरगिर्द मौजा अर्न्तगत निजी कालोनी का विकास किया जा रहा है, जिसमें असमतल स्थल को समतल करना एवं मिट्टी का भराव किया जाना पाया गया। निरीक्षण के समय लगभग 540 घन मीटर ताजा मिट्टी सतह पर एकत्रित देखी गयी। जिसकी वैधता के सम्बन्ध में निर्माणाधीन कालोनी के मालिक से ज्ञात किया जाना उचित होगा। (छायाप्रति सलंगन)

6- क्षेत्रीय अधिकारी प्रभारी, क्षेत्रीय कार्यालय उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉंसी द्वारा कार्यालय के सन्दर्भ संख्या- 262 / Flood Plain Pahunj - Jhansi / 17 दिनांक



contd.

26-9-2017 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसमें उल्लेख किया गया कि गॉटल टैम द्वारा दिनांक 26-9-2017 को सयुक्त निरीक्षण किया गया तथा प्राया गया कि पड़ुँज नदी ड्यू क्षेत्र (Flood Plain) में कानिपठ कॉलोनियों द्वारा आवास निर्मित किये गये है तथा ड्यू क्षेत्र का सीमांकन नाथन कार्पोरेशन द्वारा राज्य कर्मचारियों से कराया गया। जिसके सम्बंध में अग्रतर अवगत करना है कि नदी ड्यू क्षेत्र में अतिक्रमण तथा प्राकृतिक स्वरूप परिवर्तन के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा वाद संख्या- 89/2013 (आकाश बशिष्ठ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया) में पारित आदेश दिनांक 10-7-2013 में उद्धृत है कि- It is an admitted position in law that construction upon flood plain area is prohibited. It not only affect the natural flow of the river but even causes environment problems besides raising risk to human life and property.

नदी ड्यू क्षेत्र संरक्षण हेतु उ0 प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 16-3-2010 की अनुपालनात्मक कार्यवाही हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उद्धृत किया गया कि - The relevant extract of the said notification state as under :- " It is coming to the knowledge of government that illegal constructions/ encroachments are increasing in the flood plain zones and they are not being controlled. While on one hand complexities due to obstruction of natural flow of water during floods may arise from such illegal constructions, on the other hand, there is danger of loss of life and property to the residents. In this connection, orders have been given in the past from time to time and orders have also been given by Housing Division-I, UP through its government Order No. 1773/9- A-1-1995, dated 18 May, 1995 and also Go No. 2432/9-A-1 Encroachment/2003(AB), dated 04 April 2003 but these government orders have not been followed strictly, which is leading to a rise in the number of such illegal constructions/encroachments. Hence, upon a careful deliberation, the government has taken the following decisions:

1. Clear depiction of flood pain zones along rivers as flood affected areas in the Master Plans and to prevent any constructions in these areas, these areas should be reserved as Green. It should be ensured to ban all kinds of constructions in flood plain zones under the Zoning Regulations of the concerned cities.
2. No NOC will be granted, under the RBO Act, UP Urban Planning & Development Act 1973 and Industrial Development Act 1973, to any kind of construction inside the flood plain zone and nor will be the lay-out plans of

(Handwritten signatures and initials)

contd.

(ii)

- such constructions be approved. To stop such Kind of illegal constructions, effective action would be taken under the provisions of the above acts.
3. Action to be taken by Irrigation Department to remove illegal constructions and notify the areas along canals under Section 55 of the India Canal & Drainage Act.
 4. Effective use of Up Flood Emergency Powers Act by all District Magistrates.
 5. Concerned Officials of Irrigation Department must caution all those carrying out illegal constructions in flood plain areas of rivers to remove them off immediately and also make it clear to them that no compensation would be done by the government for any loss arising out of damages due to floods and flood safety/relief measures will not be undertaken and the cost of damage will be recovered by those carrying out/having illegal constructions. People should remove off illegal constriction at their own will. Effective action would be taken against illegal constructors by the concerned development authorities/industrial development authorities and Nagar Palika Parishads under applicable provisions of the acts.
 6. Effective action would be ensured by SSP/SPs of all districts through the Police Station Officers to check illegal constructions inside flood plain areas.
 7. Strict compliance should be made for removing illegal constructions as soon they are done in flood plain areas that belong to Irrigation Department.
 8. Strict, punitive action should be taken against officers/staff workers of concerned departments, after fixing their accountability, if they fail to take the expected action in the case of illegal constructions."

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में पहुँज नदी डूब क्षेत्र में भवन निर्माण एवं अतिक्रमण इत्यादि से डूब क्षेत्र की वनस्पति, प्राकृतिक विविधता तथा जलीय जीव जन्तु को कुप्रभावित होना स्वाभाविक है, अतः सम्बंधित प्राधिकारी यथा सिंचाई विभाग, नगर निगम एवं झॉंसी विकास प्राधिकरण को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया। (छायाप्रति सलंगन)

अधोहस्ताक्षरी के साथ सचिव, झॉंसी विकास प्राधिकरण, झॉंसी, उप जिलाधिकारी, झॉंसी, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम झॉंसी, अधिशासी अभियन्ता वेतवा प्रखण्ड झॉंसी, खान अधिकारी एवं क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी झॉंसी की गठित टीम द्वारा दिनांक 19-5-2017 व 25-5-2017 को किये गये स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखों के आधार पर कराये गये सीमांकन में ग्वालियर-शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 25 नया 27 के किमी 0 92.300 पर निर्मित पुल की कुल लम्बाई 129.00 मीटर (Over all length) एवं सीपरी बाजार-शिवपुरी मार्ग पर स्थित पुराने पुल की लम्बाई 105 मीटर तथा उससे सटे बने नये पुल की लम्बाई 129.00 मीटर पाया गया एवं

contd.

2/14
15/10/17

31

(9)

वर्ष 1967 में पहुँज नदी में आयी बाढ़ के अनुसार अधिकतम बाढ़ स्तर (एच0एफ0एल0) 235.03 मीटर रहा. शजरा सीट पर बाढ़ क्षेत्र चिन्हांकित है, जिसके अनुसार नदी के बाढ़ क्षेत्र की अधिकतम चौड़ाई (नदी की चौड़ाई 45 मीटर एवं तत्पश्चात बाढ़ क्षेत्र की चौड़ाई 160 मीटर) कुल 205 मीटर एवं न्यूनतम 135 मीटर पाई गयी तथा पहुँज नदी की भूमि पर अतिक्रमण नहीं पाया गया. काश्तकारों द्वारा नदी के बाढ़ क्षेत्र में आने वाली अपनी संकमणीय भूमि का विक्रय किया गया है. झॉसी विकास प्राधिकरण एवं राजस्व विभाग की सूची में अंकित व्यक्तियों द्वारा बिना सिंचाई विभाग व नगर निगम की अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं झॉसी विकास प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृति के अवैध निर्माण व विकास कार्य किया गया है जो पहुँज नदी के बाढ़ क्षेत्र/हरित पट्टी क्षेत्रान्तर्गत आता है। मा0 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या- 1417वी/09-27-सिं-2-181 बाढ़/09 सिंचाई अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 16 मार्च, 2010 में नदियों के बाढ़ क्षेत्रों (फ्लड प्लेन जोन) में अवैध निर्माण/अतिक्रमणों के लिए महायोजनाओं के अन्तर्गत नदियों के किनारे फ्लड प्लेन जोन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाना एवं इसमें किसी प्रकार का निर्माण अनुमत्य नहीं होना सुनिश्चित करने हेतु इन क्षेत्रों का भू-उपयोग हरित रखा जाय। सम्बंधित नगरों की महायोजनाओं के जोनिंग रेगुलेशन्स में फ्लड प्लेन्स के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबन्धित किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि नियमतः नदी के बाढ़ क्षेत्र/हरित पट्टी क्षेत्र में काश्तकारों द्वारा मात्र पेड़ लगाने व खेती आदि का कार्य किया जा सकता है इसमें आवासीय भवन अथवा विकास कार्य नहीं किया जा सकता है।

रिपोर्ट सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


अपर नगर अधिकारी
नगर निगम, झॉसी।


क्षेत्रीय अधिकारी प्रभारी,
उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
झॉसी।


30-05-17
अधिसासी अभियन्ता
झॉसी प्रखण्ड वेतवा नहर
झॉसी।


उप जिलाधिकारी,
झॉसी।


30-5-17
सचिव,
झॉसी विकास प्राधिकरण,
झॉसी।


30/5/2017
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
झॉसी।

11-9-17

ANNEXURE 3:




75, वरदान विहार, झाँसी, उत्तर प्रदेश 284003, भारत

झाँसी
उत्तर प्रदेश
भारत

20°C
68°F

2025-10-28(मंगल) 06:56(am)



FG5G+F45, राजघाट कॉलोनी, झाँसी, लहमिंद, उत्तर प्रदेश 284003, भारत

झाँसी
उत्तर प्रदेश
भारत

20°C
68°F

2025-10-28(मंगल) 06:52(am)

contd.



Shop No 1/2, Ganesh Vihar Colony, opposite Jai Academy School, Jhansi, Lalhargid, Uttar Pradesh 284419, 4000

Jhansi

Uttar Pradesh

भारत

2025-10-28(मंगल) 06:54(am)

20°C

68°F



Shop No 1/2, Ganesh Vihar Colony, opposite Jai Academy School, Jhansi, Lalhargid, Uttar Pradesh 284419, 4000

Jhansi

Uttar Pradesh


भारत

2025-10-28(मंगल) 06:54(am)


20°C

68°F

ANNEXURE 4:



contd.



contd.



85, Krishna Vihar Colony, Khati Baba, Jhansi, Uttar Pradesh 284003, India 🇮🇳
 Latitude 25.456391666666665° Longitude 78.52275833333333°
 Local 09:11:12 AM Altitude 248 meters
 GMT 03:41:12 AM Friday, 03.10.2025



1/2, opp. jai academy school, near ganesh vihar colony, Jhansi, Lahargird, Uttar Pradesh 284419, India 🇮🇳
 Latitude 25.456605° Longitude 78.52280666666667°
 Local 05:04:32 PM Altitude 236 meters
 GMT 11:34:32 AM Saturday, 04.10.2025



1/2, opp. jai academy school, near ganesh vihar colony, Jhansi, Lahargird, Uttar Pradesh 284419, India 🇮🇳
 Latitude 25.456226666666666° Longitude 78.52250666666667°
 Local 05:16:28 PM Altitude 236 meters
 GMT 11:46:28 AM Wednesday, 01.10.2025



1/2, opp. jai academy school, near ganesh vihar colony, Jhansi, Lahargird, Uttar Pradesh 284419, India 🇮🇳
 Latitude 25.456645° Longitude 78.522745°
 Local 05:04:43 PM Altitude 236 meters
 GMT 11:34:43 AM Saturday, 04.10.2025

ANNEXURE 5:



contd.



ANNEXURE 6:

**अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि की स्वीकृति हेतु शासन द्वारा
गठित समिति की बैठक की कार्यवाही**

नगर विकास अनुभाग-9 के शासनादेश सं0 321/नौ-9-19-153ज/200 दिनांक 27.02.2019 के अनुक्रम में 15वें वित्त आयोग एवं अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि के उपयोग हेतु शासन के निर्देशों के अनुपालन में निम्नांकित समिति गठित की गई :-

- | | | |
|--|---|-------------|
| 1. महापौर | — | अध्यक्ष |
| 2. जिलाधिकारी | — | सदस्य |
| 3. नगर आयुक्त | — | सचिव/संयोजक |
| 4. अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग | — | सदस्य |
| 5. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण | — | सदस्य |

उक्त बैठक मा0 महापौर महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 13.02.2025 को अपराह्न 3.00 बजे नगर निगम कार्यालय में सम्पन्न हुई जिसमें श्री बिहारीलाल आर्य, मा0 महापौर जी की अध्यक्षता में निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित रहें :-

1. जिलाधिकारी, झॉंसी।
2. नगर आयुक्त, सचिव/संयोजक।
3. उपाध्यक्ष, झॉंसी विकास प्राधिकरण, झॉंसी।
4. अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, झॉंसी।

अवस्थापना विकास निधि से प्राप्त धनराशि का विवरण

क्र0 सं0	शासनादेश सं0	प्राप्त धनराशि (रू0 लाख में)
1.	8/5400/139(2)/02प्रति0अति0स्टा0शु0/2024-25 दिनांक 06.12.2024	496.44
	योग-	496.44

उक्त के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के क्रम में अवस्थापना विकास निधि से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कार्यों की स्वीकृति हेतु शासन द्वारा गठित समिति के समक्ष कार्यों की चयन हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत है :-

एजेण्डा बिन्दु- 1


क्र0सं0	कार्य का नाम	अनुमानित व्ययानुमान (लाख में) जी0एस0 टी0 सहित	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	पहूज नदी में गिरने वाले दो नालों को एस0पी0एस0-4 के नाले में जोड़ने का कार्य।	200.00	उक्त परियोजना का उद्देश्य वर्तमान में पहूज नदी में गिरने वाले 02 नाले (गणेश विहार कॉलोनी के पीछे एवं जय एकेडमी स्कूल के सामने) को एस0पी0एस0-4 के नाले में जोड़े जाने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। पहूज नदी में गिरने वाला प्रथम नाला, गणेश विहार कॉलोनी के पीछे को ग्रेविटी के माध्यम से जय एकेडमी स्कूल तक लाकर दूसरे नाले को जोड़ते हुए दोनों नालों को सम्प का निर्माण

contd.

		कर, पम्पिंग के माध्यम से एस0पी0एस0-4 के नाले में जोड़ा जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्य उपरान्त वर्तमान में पहूज नदी में गिरने वाले 02 नाले को एस0पी0एस0-4 के नाले में जोड़ने के उपरान्त दूषित जल को 26 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 के माध्यम से शोधित कर पुनः पहूज नदी में छोड़ा जायेगा।
	कुल:-	200.00


बैठक में चर्चा उपरान्त उक्त प्रस्ताव का समिति द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया तथा शेष धनराशि का प्रस्ताव अग्रिम बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि अवस्थापना विकास निधि की गार्डर्ड लाईन्स के अनुसार कार्य कराना सुनिश्चित करें, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए ई-निविदा/जैम पोर्टल के माध्यम से कार्य कराया जायेगा, नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य वर्तमान में किसी अन्य योजना में प्रस्तावित नहीं हैं एवं प्रस्तावित कार्य पिछले 05 वर्ष में नहीं किया गया हो। साथ ही कार्य की उच्चकोटि की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी, कार्य स्थल पर कार्य प्रारम्भ होने से पहले सक्षम अधिकारी की मौजूदगी में फोटोग्राफ ऐसे सीमा-चिन्ह (Landmark)से ली जाये, ताकि बाद में कार्य पूर्ण होने के उपरान्त जगह प्रमाणित हो सकें, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने पर Same Landmark की फोटो पत्रावली में प्रस्तुत की जायें, कार्य की समाप्ति के उपरान्त कार्य स्थल की Same Landmark की सक्षम अधिकारी के साथ सत्यापनकर्ता अधिकारी के साथ लिया गया फोटोग्राफ भी पत्रावली में रहें, कार्य स्थल पर जनसामान्य की जानकारी हेतु स्थाई बोर्ड स्थापित किया जाये, जिसमें कार्य से संबन्धित विवरण अंकित रहें, यथा योजना का नाम, कार्य की लागत, कार्यदायी संस्था का नाम आदि भी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त के सम्बन्ध में निविदा आमंत्रित कर स्वीकृति से सम्बन्धित कार्यवाही सम्पन्न कराते हुए त्वरित गति से गुणवत्तापूर्वक कार्य सम्पादित करायेगें। उक्त स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष अधिक व्यय, राज्य वित्त आयेग/नगर निगम निधि से वहन किया जायेगा। अपरिहार्य कारणों से किसी कार्य को पुनरीक्षित/स्थल परिवर्तन करने का अधिकार मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी को होगा।


नगर आयुक्त/सचिव
संयोजक नगर निगम, झाँसी।


अधीक्षण अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग, झाँसी।


उपाध्यक्ष
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी।


जिलाधिकारी
झाँसी।


महापौर
झाँसी नगर निगम, झाँसी।

contd.

सहायक अभियन्ता/अधि0अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता/नगर आयुक्त महोदय

कृपया दिये गये निर्देश के क्रम में झाँसी नगर निगम, झाँसी में पात्र ठेकेदारों से उनकी पंजीकरण सीमा तक प्रतिशत आधार दरों पर ई-निविदा पद्धति से ई-टेंडरिंग की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से निम्नलिखित टेंडर शिड्यूल के अनुसार निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रतिभूमि की धनराशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य की धनराशि वेबसाइट <http://jnnjhansi.procure247.com> के माध्यम से ऑनलाइन जमा की जायेगी :-

क्र0सं0	विवरण	प्रारम्भ दिनांक एवं समय	अन्तिम दिनांक एवं समय
1-	निविदा देखने/डाउनलोड/खरीदनेकी तिथि	28.02.2025 3.00 PM	21.03.2025 3:00 PM
2-	बिड समाप्ति की तिथि एवं समय	-	21.03.2025 3:00 PM
3-	बिड खोलने की तिथि एवं समय	21.03.2025 3:30 PM	

कार्य का विवरण

क्र0सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य	प्रतिभूमि की धनराशि	कार्य पूर्ण होने की अवधि	ठेकेदार का श्रेणी
1.	पहुंज नदी में गिरने वाले दो नालों को एस0पी0एस0-4 के नाले में जोड़ने का कार्य।	17073171.00	17075.00+18.00% GST	1053700.00	छः माह	ए श्रेणी

नोट-

- निविदा से सम्बन्धित नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय में देखी जा सकती है।
- कार्यों से सम्बन्धित निविदा सूचना एवं शर्तें नगर निगम, झाँसी की वेबसाइट www.jnnjhansi.com में देखी जा सकती है।
- निविदादाता को <http://etender.up.nic.in> में ई-टेंडर में पंजीकृत होना है।
- पंजीकृत ठेकेदार अपनी श्रेणी के अलावा एक श्रेणी नीचे तक का कार्य लेने के लिए अनुमत्य होगा।
- ई-टेंडरिंग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में परिवर्तन अथवा पूर्व की भांति मैनुअल मांगे जाने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी में निहित होगा।
- कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षा ऋतु को शामिल करते हुए वर्णित है।
- अपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
- कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउन्सिल में पंजीकृत है वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
- प्रत्येक निविदादाता रू0 100/- के नॉन-जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सभी सूचनाएं सही होने का शपथ-पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- प्रतिभूमि की धनराशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य की धनराशि <http://jnnjhansi.procure247.com> के माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
- डिफेंक्ट लायबिलिटी की अवधि लोक निर्माण विभाग द्वारा तय की गयी अवधि के अनुसार होगी।
- कार्य स्वीकृत होने के पश्चात् कार्य प्रारम्भिक फोटो, कार्य प्रगति की फोटो एवं कार्य समाप्ति की फोटो पत्रावली में लगाया जाना अनिवार्य होगा।
- शासनादेश सं0 11593/नौ-5-2021-142सा/2021 नगर विकास अनुभाग-5 दिनांक 07.01.2022 के अनुसार निर्माण कार्यों में परफोरमेन्स सिक्योरिटी ली जायेगी।(प्राप्त निविदा की लागत कार्य हेतु अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से नीचे प्राप्त हुई हो तो उस दशा में प्रथम 10 प्रतिशत तक के लिए परफोरमेन्स सिक्योरिटी 3 प्रतिशत ही रहेगी परन्तु उसके पश्चात् प्रत्येक 1 प्रतिशत नीचे दर हेतु 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त परफोरमेन्स सिक्योरिटी जमा कराया जाये।)
- जी0एस0टी0 के नियमों/शासनादेश के अनुसार निर्धारित कटौती की जायेगी।
- कार्य में प्रयुक्त सामग्री की जांच समय-समय पर परीक्षणशाला से करानी होगी। जांच रिपोर्ट में यदि कोई मानक के विपरीत पायी जाती है तो सम्बन्धित कार्य को तोड़कर पुनः ठेकेदार द्वारा हर्जे-खर्चे पर ठीक किया जाना अनिवार्य होगा तथा इस कार्य में कोई अतिरिक्त भुगतान नगर निगम, झाँसी द्वारा नहीं किया जायेगा।
- शासनादेश सं0 3890/नौ-5-19-149सा/2019 दिनांक 20.09.2019 के अनुसार न्यूनतम निविदादाता का यदि पूर्व से नगर निगम, झाँसी में पंजीकरण नहीं है तो उन्हें पंजीकरण नियमावली/शर्तों के अनुसार पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- निविदा खोलने की तिथि में अगर अवकाश होता है तो निविदा अगले दिवस में खोली जायेगी।
- ई-निविदा में कोई भी संशोधन/परिमार्जन/परिवर्तन की सूचना को वेबसाइट पर ही अपलोड कर प्रकाशित किया जायेगा।
- ठेकेदार/फर्म के किये गये कार्यों की परफोरमेन्स के आधार पर प्रश्नगत कार्य की निविदा निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी में निहित होगा।
- निविदा दरें प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 90 नब्बे दिनों की अवधि के लिए स्वीकृति के लिए मान्य रहेगी। एक बार सबमिट की गई निविदा दरें सबमिट करने की अंतिम तिथि के बाद वापस नहीं लिया जा सकता है।
- किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार से किसी भी सेवानिवृत्ति राजपत्र अधिकारी (एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त) को सरकार की अनुमति के बिना ठेकेदार प्रतिष्ठान में काम करने की अनुमति नहीं है। यह अनुबंध रद्द करने के लिए उत्तरदायी है, यदि ठेकेदार या उसके किसी

de
86.413125

de
86.413125

contd.

- कर्मचारी को किसी भी समय ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, जिसने ठेकेदार की सेवा में निविदा प्रस्तुत करने से पहले सरकार की अनुमति नहीं ली थी। इस विभाग के अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए भी यही शर्त लागू होगी।
22. निविदा दस्तावेज, और निविदादाता योजना, विनिर्देशों, आरेखण की पात्रता मानदंड से सम्बन्धित अन्य विवरण, किए जाने वाले कार्य के विभिन्न वर्गों की मात्रा की अनुसूची और अनुबंध के नियम और शर्तों का पालन करने के लिए ठेकेदार द्वारा अनुपालन किया जा सकता है। बेवसाइट से लोड किया जा सकता है। <https://etender.up.nic.in>
 23. किसी भी अपराधिक गतिविधि के लिए माननीय न्यायालय द्वारा दंडित किसी भी निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
 24. शासनादेश सं0 24वी0आईपी0(1)/नौ-5-2017-120बजट/2013 नगर विकास अनुभाग-5 दिनांक 24.08.2017 के क्रम में निर्मित किये जाने वाली सड़क को निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् 5 वर्ष तक अनुसूचित/रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी,परियोजना लागत की 5 प्रतिशत धनराशि परफोरमेन्स गारण्टी के रूप में 5 वर्ष रोकने के उपरान्त सड़क के समुचित रख-रखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी।
 25. निविदादाता द्वारा कार्य किसी अन्य व्यक्ति/ठेकेदार को सबलेट नहीं किया जा सकता है।
 26. कार्य शुरू करने का पत्र प्राप्त करने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्रथम न्यूनतम निविदादाता द्वारा श्रम विभाग में अपना श्रम पंजीकृत करना आवश्यक है।
 27. निविदादाता को प्रस्तुत करने से पहले स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि उसके पास कार्य को निष्पादित करने के लिए पर्याप्त निविदा दर की क्षमता है और उसे प्रथम न्यूनतम निविदादाता द्वारा क्षमता गणना पत्रक प्रस्तुत करना होगा।
 28. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी कोई भी परिपत्र या निर्देश ठेकेदार पर लागू होगा।
 29. कार्य के साथ निर्गत कार्यादेश जारी करने के बाद ठेकेदार श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत सम्बन्धित कार्य स्थल पर कार्यरत मजदूरों के नाम जमा करेगा।
 30. नगर निगम मा0सदन की बैठक दिनांक 13.11.2019 के स्वीकृत प्रस्ताव सं0 9 के अनुसार किसी भी ठेकेदार के पूर्व से स्वीकृत कोई भी तीन या उसके अधिक कार्य अधूरे हैं, तो उस ठेकेदार को नया कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा तथा किसी भी ठेकेदार को एक बार में तीन से अधिक कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।
 31. निविदादाता के पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस. द्वारा दिए गए ई-मेल पर भेजे गए सभी नोटिस और पत्र, निविदादाता द्वारा प्राप्त किए गए मान्य लिए जाएंगे।
 32. विभिन्न सरकारी आदेश/निदेशालय आदेश समय-समय पर जारी किए जाएंगे।
 33. अन्य विवरण निविदा शर्तों में देखे जा सकते हैं। कर्मचारी को उसके नियंत्रण से परे प्रणाली की विफलता के कारण किसी भी दसों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा जाएगा। भले ही सिस्टम किसी भी निविदादाता को सूचित करने की कोशिश करेगा, लेकिन नियोजित निविदादाता द्वारा प्राप्त किसी भी जानकारी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। निविदा से सम्बन्धित नवीनतम जानकारी के लिए बेवसाइट से सत्यापित करना निविदादाताओं की जिम्मेदारी है।
 34. ठेकेदार/निविदादाता को निर्माण के समय यातयात के आवागमन को बिना किसी अवरोध के बनाये रखने हेतु पर्याप्त सुविधा/व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
 35. एक अथवा सभी निविदाओं को कारण बताये अथवा बिना बताये निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा एवं किसी भी शर्त को संशोधित करने का पूर्व अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम,झॉंसी में निहित होगा।
 36. निविदादाता को निविदा डबल बिड सिस्टम के आधार पर (तकनीकी एवं वित्तीय) पृथक-पृथक देना अनिवार्य होगा।
 37. मा0 एन0जी0टी0 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में निर्माण कार्य स्थल पर निर्माण कर्मा सामग्री को ग्रीन कवर से ढककर एवं पानी का छिड़काव करते हुए कार्य करना अनिवार्य होगा जिससे वायु प्रदूषण उत्पन्न न हो। अन्यथा कि स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूलने की कार्यवाही की जायेगी।
 38. निविदादाता को शासन/निदेशालय/नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
 39. टेक्नीकल बिड के साथ तकनीकी स्टाफ से सम्बन्धित सूचना विवरण सहित (शपथ पत्र सहित) संलग्न करना होगा।
 40. टेक्नीकल बिड के साथ यथा आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
 41. निविदादाता के पास विद्युतीकरण कार्यों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक वैद्य विद्युत निदेशालय द्वारा प्रदत्त पंजीकरण/ए- श्रेणी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र लाइसेन्स होना अनिवार्य है।
 42. निविदादाता तथा ज्वाइन्ट वैचर के पास विद्युतीकरण कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 43. पी0डब्लू0डी0 के **Model Bidding Document for construction of roads** के सेक्शन-2 के 15.6 में यह उल्लेख किया गया है कि **"if the bidder withdraws the bid after bid opening during the period of bid validity, the Earnest money may be forfeit."** के अनुसार ठेकेदार की जमानत धनराशि जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

तकनीकी बिड हेतु अनिवार्य अभिलेख:-क्र0सं0-01 पर अंकित कार्य द्वि-निविदा पद्धति से किये जाने है।

1. विगत पांच वर्षों का औसत टर्नओवर जो आंगणन राशि के 30 प्रतिशत से अधिक का हो, का प्रमाण-पत्र।

Handwritten signature
4/1/2020
AET

Handwritten signature
4/1/2020

contd.


2. विगत 07 वर्षों में आंगणन मूल्य के 40 प्रतिशत मूल्य के 03 समान प्रकृति के कार्यों को पूर्ण करने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र अथवा गत् 07 वर्षों में आगणन मूल्य के 50 प्रतिशत मूल्य के 02 समान प्रकृति के कार्यों को पूर्ण करने का अधिशासी अभियन्ता स्तर से कम नहीं द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र अथवा गत् 07 वर्षों में आंगणन मूल्य के 80 प्रतिशत मूल्य के 01 समान प्रकृति के कार्यों को पूर्ण करने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य होगा।
3. टेक्नीकल बिड के साथ नगर निगम झांसी में उक्त फर्म के नाम कोई भी कार्य लम्बे समय से लम्बित/अनारम्भ होने का प्रमाण-पत्र(मा0 न्यायालय विवाद के कार्यों को छोड़कर) संलग्न करना होगा।
4. हाटमिक्स प्लांट से सड़क सुधार के कार्यों के लिए निर्धारित सीमा में हाटमिक्स प्लांट का नियमानुसार स्वामित्व होना अनिवार्य है, जिसका सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है।
5. टेक्नीकल बिड के साथ तकनीकी स्टाफ से सम्बन्धित सूचना (एक सिविल डिग्री धारक एवं दो सिविल डिप्लोमा धारक) विवरण सहित (शपथ पत्र सहित) संलग्न करना होगा।
6. टेक्नीकल बिड के साथ यथा आवश्यक उपकरणों हाटमिक्स प्लांट ,एयर कम्प्रेसर, बाईब्रेटर, रोलर, टिपर,विटुमिन डिस्ट्रीब्यूटर ,टार वायलर, कंक्रीट मिक्चर, वाटर टैंकर, ट्रेक्टर, ट्रक, मेकिनकल ब्रूम आदि की उपलब्धता यथाआवश्यक का सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
7. बिड कैपेसिटी निर्धारित प्रारूप पर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. **One-going works** अधिशासी अभियन्ता द्वारा जारी किया गया निर्धारित प्रारूप पर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. बिल्डिंग बनाने का अनुभव संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. निविदा के समय जमानत धनराशि (Earnest Money) को शासनादेश सं0 08/2017/836/23-7-17-176(सा0)/06 दिनांक 08.06.2017 के अनुसार निविदा के समय जमा करायी जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार अनुमोदन करते हुए ई-निविदा आमंत्रण सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन किये जाने हेतु प्रारूप पत्रावली के दायीं ओर संलग्न कर दिया गया है। कृपया अवलोकन कर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।


01-3-2025


4/3/25
(AE)


4-3-25


04/3/25
CE


04/03/25

contd.



झाँसी नगर निगम, झाँसी।

आगणन

बजट हेड - अवस्थापना

आगणन का धनांक - रूपये-**2,00,00,000/-**

कार्य का नाम :- पहुंज नदी में गिरने वाले दो नालों को एस0पी0 एस0-4 के नाले में जोड़ने का कार्य।

नगर निगम को स्वीकृति प्रदान करने हेतु समर्पित।


अवर अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिषासी अभियन्ता

contd.

Estimate for Drain Diversion work								
S no.	Item Detail	DSR/MR	Item No.	Unit	Rate	After factor	Qty	Amount
1	2.31 Clearing jungle including uprooting of rank vegetation, grass, brush wood, trees and saplings of girth up to 30 cm measured at a height of 1 m above ground level and removal of rubbish up to a distance of 50 m outside the periphery of the area cleared.	DSR 2023	2.31	SQM	17.6	12.82	3138.54	40,220.71
2	2.6 Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator)/ manual means over areas (exceeding 30 cm in depth, 1.5 m in width as well as 10 sqm on plan) including getting out and disposal of excavated earth lead upto 50 m and lift upto 1.5 m, as directed by Engineer-in-charge. 2.6.1 All kinds of soil	DSR 2023	2.6.1	SQM	177.5	129.24	742.07	95,907.70
3	2.7 Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator)/ manual means over areas (exceeding 30 cm in depth, 1.5 m in width as well as 10 sqm on plan) including getting out and disposal of excavated earth lead upto 50 m and lift upto 1.5 m, as directed by Engineer-in-charge 2.7.3 Hard rock (blasting prohibited)	DSR 2023	2.7.3	CUM	1432.95	1043.38	259.73	270,990.59
4	2.10 Excavating trenches of required width for pipes, cables, etc. including excavation for sockets, and dressing of sides, ramming of bottoms, depth upto 1.5 m, including getting out the excavated soil, and then returning the soil as required. In layers not exceeding 20 cm in depth, including consolidating each deposited layer by ramming, watering, etc. and disposing of surplus excavated soil as directed, within a lead of 50 m : 2.10.1.2 Pipes, cables etc. exceeding 80 mm dia. but not exceeding 300 mm dia.	DSR 2023	2.10.1.2	MTR	352.15	256.41	900.00	230,770.15
5	2.13 Excavating trenches of required width for pipes, cables, etc. including excavation for sockets, depth upto 1.5 m, including getting out the excavated materials, returning the soil as required in layers not exceeding 20 cm in depth, including consolidating each deposited layers by ramming, watering etc., stacking serviceable material for measurements and disposal of unserviceable material as directed, within a lead of 50 m : 2.13.3.2 Pipes, cables etc. exceeding 80 mm dia but not exceeding 300 mm dia	DSR 2023	2.13.3.2	MTR	2047.3	1490.70	315.00	469,571.22
6	2.14 Extra for excavating trenches for pipes, cables, etc. in ordinary/hard rock exceeding 1.5 m in depth but not exceeding 3 m. (Rate is over corresponding basic item for depth upto 1.5 metre)	DSR 2023	2.14.3.1	MTR	1496.1	1089.36	315.00	343,147.31
7	2.24.2 In or under foul position, including pumping out water as metre 25% required	DSR 2023	2.24.2			0.00		149,417.11
8	2.77 Supplying and filling in plinth with sand under floors, including watering, ramming, consolidating and dressing complete.	DSR 2023	2.27	CUM	2123.75	1546.37	648.00	1,002,046.38
9	4.1.5 1:3:6 (1 Cement : 3 coarse sand (zone-II) derived from natural sources : 6 graded stone aggregate 20 mm nominal size derived from natural sources)	DSR 2023	4.1.5	CUM	7294.7	5311.50	11.22	59,586.49
10	4.16 Extra for laying concrete in or under foul positions.	DSR 2023	4.16	CUM	467.55	340.44	40.67	13,846.22
11	5.1 Providing and laying in position specified grade of reinforced cement concrete, excluding the cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement - All work up to plinth level : 5.1.2 1:1.5:3 (1 cement : 1.5 coarse sand (zone-III) derived from natural sources : 3 graded stone aggregate 20 mm nominal size derived from natural sources)	DSR 2023	5.1.2	CUM	9045.75	6586.49	29.45	193,994.70
12	5.2 Reinforced cement concrete work in walls (any thickness), including attached pilasters, buttresses, plinth and string courses, fillets, columns, pillars, piers, abutments, posts and struts etc. above plinth level up to floor five level, excluding cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement : 5.2.2 1:1.5:3 (1 cement : 1.5 coarse sand(zone-II) derived from natural sources : 3 graded stone aggregate 20 mm nominal size derived from natural sources)	DSR 2023	5.2.2	CUM	10852.95	7902.37	94.58	747,416.86
13	5.9 Centering and shuttering including strutting, propping etc. and removal of form for 5.9.1 Foundations, footings, bases of columns, etc. for mass concrete	DSR 2023	5.9.1	SQM	392.15	285.54	26.49	7,563.69
14	5.9.2 Walls (any thickness) including attached pilasters, buttresses, plinth and string courses etc.	DSR 2023	5.9.2	SQM	842.5	613.45	227.99	139,861.40
15	5.9.6 Columns, Pillars, Piers, Abutments, Posts and Struts	DSR 2023	5.9.6	SQM	961.3	699.95	239.95	167,956.52
16	5.9.20 Suspended floors, roofs, landings, balconies and access platform with water proof ply 12 mm thick	DSR 2023	5.9.20	SQM	1028.4	748.81	39.47	29,557.19
17	5.22 Steel reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding all complete upto plinth level. 5.22A.6 Thermo-Mechanically Treated bars of grade Fe-500D or more.	DSR 2023	5.22A.6	KG	107.85	78.53	24341.83	1,911,537.54
18	5.31 Extra for laying reinforced cement concrete in or under water and/ or liquid mud, including cost of pumping or bailing out water and removing slush etc., complete.	DSR 2023	5.31	CUM	467.55	340.44	29.45	10,027.05
19	6.1 Brick work with common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5 in foundation and plinth in: 6.1.1 Cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand)	DSR 2023	6.1.1	CUM	7370.65	5366.80	5.52	29,624.72
20	6.3 Brick work with common burnt clay machine moulded perforated bricks of class designation 12.5 conforming to IS: 2222 in superstructure above plinth level up to floor five level in cement mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand): 6.3.1 With F.P.S.(non modular) bricks	DSR 2023	6.3.1	CUM	9299.9	6771.54	21.57	146,033.18
21	13.1.1.1.4 (1 cement : 4 fine sand)	DSR 2023	13.1.2	SQM	347.05	252.70	628.85	158,907.93
22	Providing and applying white cement based putty of average thickness 1 mm, of approved brand and manufacturer, over the plastered wall surface to prepare the surface even and smooth complete.	DSR 2023	13.8	SQM	132.25	96.30	228.85	22,037.18
23	Distemping with oil bound washable distemper of approved brand and manufacture to give an even shade : 13.41.1 New work (two or more coats) over and including water thinnable priming coat with cement primer	DSR 2023	13.41.1	SQM	157.33	114.56	228.85	26,216.33

Prof
(JTB)

AC
AC

M
M

contd.

Estimate for Drain Diversion work

No.	Item Detail	DSR/MR	Item No.	Unit	Rate	After factor	Qty	Amount
24	Painting with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture of required colour to give an even shade : 13.62.1 Two or more coats on new work over an under coat of suitable shade with ordinary paint of approved brand and manufacture	DSR 2023	13.62.1	SQM	191.74	139.61	228.85	31,950.16
25	Providing and fixing 1mm thick M.S. sheet door with frame of 40x40x6 mm angle iron and 3 mm M.S. gusset plates at the junctions and corners, all necessary fittings complete, including applying a priming coat of approved steel primer.	DSR 2023	10.5.1	SQM	4918.940678	3581.63	40.00	143,265.30
26	10.5.1 Using M.S. angles 40x40x6 mm for diagonal braces Providing and fixing stainless steel (Grade 304) railing made of Hollow tubes, channels, plates etc., including welding, grinding, buffing, polishing and making curvature (wherever required) and fitting the same with necessary stainless steel nuts and bolts complete, i/c fixing the railing with necessary accessories & stainless steel dash fasteners, stainless steel bolts etc., of required size, on the top of the floor or the side of waist slab with suitable arrangement as per approval of Engineer-in-charge. (for payment purpose only weight of stainless steel members shall be considered excluding fixing accessories such as nuts, bolts, fasteners etc.)	DSR 2023	10.28	KG	772.4	562.41	510.00	286,828.21
27	Providing and fixing glazing in aluminium door, window, ventilator shutters and partitions etc. with EPDM rubber / neoprene gasket etc. complete as per the architectural drawings and the directions of engineer-in-charge. (Cost of aluminium snap beading shall be paid in basic item).	DSR 2023	21.3.1	SQM	1176.8	856.86	40.00	34,274.57
28	overall height as 2.5m. MS channel ISLC 75 @ 5.70 kg/m, 50cm long shall be provided at the bottom having oval shaped holes of size 50x25mm at both ends with 50cm long MS angle 40x40x6mm bracing. Suitable arrangement shall be made to fix the barricading to avoid from overturning by providing 250mm long expansion fasteners at both ends. The work shall be executed as per drawing/direction of Engineer-in-Charge which includes writing and painting, arrangement for traffic diversion such as traffic signals during construction at site for day and night, glow lamps, reflective signs, marking, flags, caution tape as directed by the Engineer-in-Charge. The barricading provided shall be retained in position at site continuously i/c shifting of barricading from one location to another location as many times as required during the execution of the entire work till its completion.	DSR 2023	16.81	meter	3439.5	2504.41	100.00	250,440.60
29	16.11.2 NON - RETURN VALVE with dual plate of CI body SS plates vulcanized NBR seal flanged end & PN 16 pressure rating as specified.	E&M 2022	16.7.3.4	Nos	5494	4000.35	3.00	12,001.05
30	18.31 Providing and fixing C.I. sluice valves (with cap) complete with bolts, nuts, rubber insertions etc. (the tail pieces if required will be paid separately) : 18.31.1 100 mm diameter	DSR 2023	18.31.1	Nos	4985.85	3630.35	6.00	21,782.11
31	18.59 Providing and fixing C.I. double acting air valve of approved quality with bolts, nuts, rubber insertions etc. complete (The tail pieces, tapers etc if required will be paid separately) :	DSR 2023	18.59.3	Nos	8893	6475.27	3.00	19,425.80
32	18.60 Providing and fixing enclosed type water meter (bulk type) conforming to IS : 2373 and tested by Municipal Board complete with bolts, nuts, rubber insertions etc. (The tail pieces if required will be paid separately) :	DSR 2023	18.60.2	Nos	5468.35	3981.67	2.00	7,963.35
33	18.72 Providing and laying S&S Centrifugally Cast (Spun) / Ductile Iron Pipes conforming to IS : 8329 : 18.72.15 100 mm dia Ductile Iron Class K-9 pipes	DSR 2023	18.72.15	Mtr	1344.6	979.04	600.00	587,426.84
34	18.68 Providing and laying D.I. specials of class K-12 suitable for push-on jointing as per IS : 9523 : 18.68.1 Up to 600 mm dia	DSR 2023	18.68.1	Qtl	20009.7	14569.68	30.00	437,090.39
35	18.70 Providing push-on-joints to Centrifugally (Spun) Cast Iron Pipes or Ductile Iron Pipes including testing of joints and the cost of rubber gasket 18.70.1 100 mm dia pipes	DSR 2023	18.70.1	Nos	119.45	86.98	100.00	8,697.52
36	19.6 Providing and laying non-pressure NP2 class (light duty) R.C.C. pipes with collars jointed with stiff mixture of cement mortar in the proportion of 1:2 (1 cement : 2 fine sand) including testing of joints etc. complete : 19.6.3 250 mm dia. R.C.C. pipe	DSR 2023	19.6.3	Mtr	899.8	655.17	500.00	327,586.07
37	dia at bottom and 0.56m dia at top in cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand), inside cement plaster 12 mm thick with cement mortar 1:3 (1 cement : 3 coarse sand) finished with a floating coat of neat cement, foundation concrete 1:3:6 mix (1 cement : 3 coarse sand : 6 graded stone aggregate 40 mm nominal size), and making necessary channel in cement concrete 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size) finished with a floating coat of neat cement, all complete as per standard design : 19.9.1 0.91 m deep with S.F.R.C. cover and frame (heavy duty, HD-20 grade designation) 560 mm internal diameter conforming	DSR 2023	19.9.1	Nos	12725	9265.46	8.00	74,123.72
38	19.10 Extra depth for circular type manhole 0.91m internal dia (at bottom) beyond 0.91 m to 1.67 m 19.10.1 With common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5	DSR 2023	19.10.1	Mtr	7591.8	5527.82	8.00	44,222.59

contd.

Estimate for Drain Diversion work

Sl. No.	Item Detail	DSR/MR	Item No.	Unit	Rate	After factor	Qty	Amount
39	19.11 Constructing brick masonry circular manhole 1.22 m internal dia at bottom and 0.56 m dia at top in cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand) inside cement plaster 12 mm thick with cement mortar 1:3 (1 cement : 3 coarse sand) finished with a floating coat of neat cement foundation concrete 1:3:6 (1 cement : 3 coarse sand : 6 graded stone aggregate 40 mm nominal size) and making necessary channel in cement concrete 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size) finished with a floating coat of neat cement, all complete as per standard design : 19.11.1 1.68 m deep with SFRC Cover and frame (heavy duty HD-20 grade designation) 560 mm internal diameter conforming to I.S. 12592, total weight of cover and frame to be not less than 182 kg, fixed in cement concrete 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size) including centering, shuttering all complete. (Excavation, foot rests and 12 mm thick cement plaster at the external surface shall be paid for separately) : 19.11.1.1 With common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5	DSR 2023	19.11.1.1	Nos	24702.75	17986.83	9.00	161,881.51
40	19.12 Extra depth for circular type manhole 1.22 m internal dia (at bottom) beyond 1.68 m to 2.29 m : 19.12.1 With common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5	DSR 2023	19.12.1	Mtr	9861.45	7180.43	9.00	64,623.83
41	19.13 Constructing brick masonry circular manhole 1.52 m internal dia at bottom and 0.56 m dia at top in cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand) inside cement plaster 12 mm thick with cement mortar 1:3 (1 cement : 3 coarse sand) finished with a floating coat of neat cement, foundation concrete 1:3:6 (1 cement : 3 coarse sand : 6 graded stone aggregate 40 mm nominal size) and making necessary channel in cement concrete 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size) finished with a floating coat of neat cement, all complete as per standard design : 19.13.1 2.30 m deep with SFRC Cover and frame (heavy duty HD-20 grade designation) 560 mm internal diameter conforming to I.S. 12592, total weight of cover and frame to be not less than 182 kg, fixed in cement concrete 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size) including centering, shuttering all complete. (Excavation, foot rests and 12 mm thick cement plaster at the external surface shall be paid for separately) : 19.13.1.1 With common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5	DSR 2023	19.13.1	Nos	52969.1	38568.44	5.00	192,842.18
42	19.14 Extra depth for circular type manhole 1.52 m internal dia (at bottom) beyond 2.30 m : 19.14.1 With common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5	DSR 2023	19.14.1	Mtr	22771.85	16580.89	5.00	82,904.43
43	13.25 Supplying and erection of single piece nonlinear resistor type lightning arrester suitable for 3 wire, 33 KV overhead lines with rated voltage 30 KV (rms) with a nominal discharge current rating of 10 KA (station class) and complete with galvanised clamping arrangement, G.I. bolts, nuts, washers etc. as required.	E&M 2022	13.25	Nos	17174	12504.92	2.00	25,009.84
44	Supply installation and testing of DG 50KVA	PAR 2023	6.3.1	KVA	11560	8417.19	50.00	420,859.63
45	Extra for Synchronizing Panel	PAR 2023	6.3.2	KVA	1070	779.10	50.00	38,955.00
46	Supply and laying of 1800mm x 900mm x 12mm thick chequered rubber matting of tested quality.	UPPWD SOR				2525.00	6.00	15,150.00
47	1131 (A) Supply and fixing of fire extinguisher ABC Type 6.00 kg. capacity (ISI Marked IS : 15683 & TAC approved) complete with initial charge and wall bracket, along with supply of all materials and labour for proper completion of work	UPPWD SOR	1131 (A)	Nos		9010.00	2.00	18,020.00
48	Supply and fixing of CO2 type fire extinguisher 6.5 kg. capacity (ISI Marked IS : 2878 & TAC approved) complete with initial charge and wall bracket, along with supply of all materials and labour for proper completion of work.	UPPWD SOR	1132 (A)	Nos		18300.00	2.00	36,600.00
	Total - A							9,610,162.89
1	Electrical Connection with line, transformer, VCB, substation and meter room etc		Lump sum	Work	2500000		1.00	2,500,000.00
2	Electrical Panel with all requirements as per IS.		Market Rate	Nos	800000		1.00	800,000.00
3	SITC of Pump (Heavy Duty Submersible LT Pumpset with Non Clog Impeller)		Market Rate	Nos	500000		3.00	1,500,000.00
4	Screen (IS 304) as per approved design.		Market Rate	Nos	300000		2.00	600,000.00
5	SITC Electric overhead traveling (EOT) Crane with all necessary works.		Market Rate	Nos	300000		1.00	300,000.00
6	Electrical fittings and lights (internal and external)		Lump sum	Work	200000		1.00	200,000.00
7	Utility shifting		Lump sum	Work	200000		1.00	200,000.00
8	Restoration work (Road and Other)		Lump sum	Work	550000		1.00	550,000.00
	Total - B							6,650,000.00
	Total A+B							16,260,162.89
	Design Charge 2%							325,703.26
	Contingency charges 3%							487,804.89
	GST 18%							2,926,829.32
	Grand Total							20,000,000

SP
(2023)

At
At


K

contd.

Design of Sewerage system for a domestic locality- Jhansi

2.3 Area for consideration

Below image depicts the proposed route of gravity/ pressure sewer network, proposed location of wet well and area highlighted has been considered for flow generation.



Proposed alignment for pressure sewer- Anchoring with the new RCC bridge.



Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



ANNEXURE 7:

JHANSI SMART CITY LIMITED
 Regd. Office - Jhansi Nagar Nigam, Jhansi 284001
 CIN- U75230UP2016SGC087873
 Email.id- jhansismartcityltd@gmail.com



Smart City

Ref No.: JSCL/ACEO/25-26/40/2


Date: 29th November, 2025

परियोजना प्रबन्धक,
 मे0 इनविराड प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0


विषय: 26 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 में वियर को सुधरवाये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि जॉंसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा आपकी संस्था के माध्यम से लहरगिर्द क्षेत्र में 26 एम0एल0डी0 का एस0टी0पी0 स्थापित कराया गया है। उक्त एस0टी0पी0 का संचालन एवं रखरखाव भी आपकी संस्था द्वारा ही किया जा रहा है।

तत्क्रम में एस0टी0पी0 के एस0पी0एस0-1 एवं 4 में स्थापित वियर क्षतिग्रस्त हो गये हैं तथा एस0पी0एस0-4 में वियर के समीप की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गयी है, जिसकी मरम्मत कराया जाना आवश्यक है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि क्षतिग्रस्त वियर एवं दीवार की मरम्मत शीघ्र कराना सुनिश्चित करें।


 29/11/25
 अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 जॉंसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड, जॉंसी।

प्रतिलिपि: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जॉंसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड, जॉंसी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


 अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 जॉंसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड, जॉंसी।

Recived


 29/11/25

contd.



GPS Map Camera

Jhansi, Uttar Pradesh, India 
Fg5g+f45, Rajghat Colony, Jhansi, Uttar Pradesh
284003, India
Lat 25.458342° Long 78.525485°
Saturday, 21/02/2026 04:53 PM GMT +05:30

ANNEXURE 8:

20

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2021

S.O. 3854(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Uttar Pradesh State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Jhansi comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

	Chairperson;
1. District Magistrate, Jhansi -	Member;
2. Chief Development Officer, Jhansi-	Member;
3. Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Jhansi-	Member;
4. Executive Engineer, Public Works Department, Jhansi-	Member;
5. Executive Engineer, Betwa Canal Block, Jhansi-	Member;
6. Executive Engineer, Minor Irrigation Department Jhansi-	Member;
7. Executive Engineer, Construction Division, Jal Nigam, Jhansi-	Member;
8. Chief Medical Officer, Jhansi-	Member;
9. Additional District Magistrate, Administration, Jhansi-	Member
10. Divisional Forest Officer, Jhansi Forest Division-	Convenor.

B. Nominated Members:

1. Shri Deepak Vyas son Shri Devendra Kumar Vyas, resident 451, New Basti, correspondence address-366/1 front of Laxmi Bai Park, Jhansi-	Member;
2. Shri Rajendra Kumar Hayaran, son of late Shri Ramdas Hayaran, resident 133, Najhai Bazar, Jhansi-	Member;
3. Shri Pushpendra Gautam son of Shri B.L. Sharma, resident of village Turklahchura, Post Pandawaha, Tehsil Tehrauli, Block- Gursarai, District Jhansi-	Member.

2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.

3. The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.

4. Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

[F. No. Estt. 01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

ANNEXURE 9:

6-2059/14/2021-2-नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग-Part(3)

1/1201390/202

संख्या-01/76-2-2026-E- 1609058

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, 30प्र0।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 12 जनवरी, 2026

विषय: छोटी एवं सहायक नदियों के पुनरोद्धार और कायाकल्प कराये जाने के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मा० मुख्यमंत्री जी, 30प्र0 सरकार की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 28.06.2025 के कार्यवृत्त संख्या-39/स0बै0/34-लो0शि0-4/2025, दिनांक 30.06.2025 में निम्नवत् निर्देश प्रदान किये गये हैं:-

1. छोटी एवं सहायक नदियों के पुनरोद्धार हेतु 'नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग' नोडल विभाग होगा। नदी पुनरोद्धार के लिए सिंचाई विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, नगर विकास विभाग, लघु सिंचाई विभाग एवं पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग को सहयोग प्रदान किया जायेगा। नदियों के पुनरोद्धार हेतु निम्न कार्यवाहियों प्राथमिकता पर की जानी हैं:-
 - (क) पुनरोद्धार हेतु चिन्हित नदी स्त्रोंत से लेकर बड़ी नदी में मिलने तक पूर्ण रूप से चिन्हित की जाए तथा जिन जनपदों से वह पास हो, उन सभी जनपदों द्वारा "संयुक्त कार्ययोजना" बनाकर जल प्रवाह को सुगम बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।
 - (ख) प्रदेश के प्रत्येक जनपद में आवश्यकतानुसार डीसिल्टेशन, चैनेलाइजेशन, कोर्स करेक्शन आदि से सम्बन्धित कार्य उचित तकनीक का उपयोग कर वांछित कार्यवाही की जाए। नदी की जल गुणवत्ता में वृद्धि, पर्याप्त जल उपलब्धता व जैव विविधता संरक्षण के साथ-साथ अतिक्रमण से बचाव के दृष्टिगत नदियों के किनारों व उनके बेसिन (कैचमेंट) क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण कराया जाए।
 - (ग) नदियों के किनारे मृदा जल संरक्षण के समस्त कार्य यथा चैक डैम, वॉटर हारवैस्टिंग आदि संरचनाओं के निर्माण व उनके रख-रखाव का कार्य उच्च गुणवत्ता से पूर्ण किया जाए।
 - (घ) नदियों के बेसिन (कैचमेंट) क्षेत्र के जल स्त्रोंतों के संरक्षण व पुनर्जीवन हेतु इन क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले सभी तालाबों का संरक्षण कराया जाय। तथा तालाबों/जलस्त्रोंतों के किनारे वृक्षारोपण का कार्य अनिवार्य रूप से कराया जाए।
2. मा० मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों के क्रम में पूर्व में जारी शासनादेश संख्या-29भा0स0/76-2-2022/05एन.जी./2020टी.सी.दिनांक 05.04.2022 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

-2/-

472

file No. 76-2059/14/2021-2-नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग-Part(3) (Computer No. 1609058)
generated from eOffice by मवीन घंड जी.ओ. RO (N)- N&RW, समीक्षा अधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग on 12/01/2026 10:25 AM

contd.

v

6-2099/14/2021-2-नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग-Part(3)

1/12013#0/202

-2-

- (क) नोडल विभाग यथा नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अन्तर्गत 30प्र0 की छोटी एवं सहायक नदियों को तकनीकी संस्थाओं के विशेषज्ञों के सहयोग से जिला गंगा समितियों द्वारा पुनरोद्धार और कार्याकल्प किया जायेगा, जिसका अनुश्रवण मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
- (ख) 30प्र0 की छोटी एवं सहायक नदियों का पुनरोद्धार एवं कार्याकल्प हेतु जनपद स्तर पर गठित जिला गंगा समिति को उक्त दिये गये निर्देशानुसार समस्त सहयोगी विभागों द्वारा उनके कार्यक्षेत्र के अनुसार सहयोग प्रदान किया जायेगा तथा तकनीकी सहयोग हेतु नामित तकनीकी संस्थानों यथा गंगा नदी घाटी प्रबंधन एवं अध्ययन केन्द्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर एवं सहयोगी संस्थानों (BBAU-Lucknow, NIH-Roorkee, IIT-BHU) द्वारा सहयोग प्राप्त किया जायेगा।
- (ग) तदनुसार पूर्व में मण्डल स्तर पर गठित समिति निम्नवत् रहेगी:-

क्र० सं०	पदनाम एवं विभाग	विभाग	पद
1	मण्डलायुक्त		अध्यक्ष
2	संबंधित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति		सदस्य
3	अपर आयुक्त/नामित अधिकारी	मनरेगा, उत्तर प्रदेश	सदस्य
4	नामित अधिकारी	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
5	नामित अधिकारी	राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, 30प्र0 लखनऊ	सदस्य
6	मुख्य विकास अधिकारी	ग्राम्य विकास विभाग	सदस्य
7	अपर जिलाधिकारी/मुख्य अभियन्ता, 30प्र0 जल निगम (ग्रामीण)	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग	सदस्य
8	प्रभागीय निदेशक/ वन मण्डल अधिकारी	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	सदस्य
9	उप निदेशक	पंचायती राज विभाग	सदस्य
10	नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी	नगरीय निकाय	सदस्य
11	उप निदेशक	कृषि विभाग	सदस्य
12	अधीक्षण अभियन्ता	लघु सिंचाई विभाग	सदस्य
13	अधीक्षण अभियन्ता	भूगर्भ जल विभाग	सदस्य
14	उप निदेशक	मत्स्य विभाग	सदस्य
15	उप निदेशक	उद्यान विभाग	सदस्य
16	संबंधित तकनीकी विशेषज्ञ	C-Ganga/IIT-kanpur, BBAU-Lucknow, NIH-Roorkee, IIT-BHU	सदस्य
17	संयुक्त विकास आयुक्त	ग्राम्य विकास विभाग	सदस्य सचिव-प्रशासनिक
18	मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता 473	सिंचाई एवं जल संधान विभाग	सदस्य सचिव-तकनीकी

file No. 76-2099/14/2021-2-नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग-Part(3) (Computer No. 1609058)

generated from eOffice by नवीन चंद्र जोशी, RO (NJ)- N&RW, समीक्षा अधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग on 12/01/2025 10:25 AM

-3/-

contd.

-3-

(घ) मण्डल स्तरीय समिति के कार्यक्षेत्र एवं गतिविधियाँ:-

- अर्न्तमण्डलीय/अर्न्तजनपदीय नदियों हेतु मण्डलायुक्तों द्वारा आपसी समन्वय कर कार्ययोजना बनाये जाने हेतु जनपदों को निर्देशित किया जाए।
- मण्डलायुक्त द्वारा मण्डल स्तर पर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में बैठक आयोजित करायी जाए।
- समिति के द्वारा जनपद स्तर पर छोटी व सहायक नदियों का चिन्हिकरण, मैपिंग व पुनरोद्धार तथा कायाकल्प की रणनीति/कार्ययोजना तैयार कर एवं अनुश्रवण कराया जाए।
- समिति द्वारा जनपद स्तर पर जिला गंगा समिति के द्वारा तैयार की गयी रणनीति का अनुमोदन कराया जाए।
- राज्य गंगा समिति 30प्र0 को त्रैमासिक बैठकों में जनपदवार किये गये कार्य की प्रगति की स्थिति से अवगत कराया जाए।
- समिति के द्वारा छोटी व सहायक नदियों की 02 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत स्थित भूमि/नदी क्षेत्र का चिन्हिकरण कराया जाए तथा अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(ङ) नदियों के पुनरोद्धार हेतु जिला गंगा समिति के दायित्व:-

- जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति द्वारा जिला स्तर पर उक्त कार्य की आवश्यकतानुसार उपसमिति गठित की जाए।
- जिला स्तर पर उक्त कार्य हेतु मुख्य विकास अधिकारी नोडल होंगे तथा उपायुक्त, श्रम रोजगार (मनरेगा), जिला पंचायत राज अधिकारी, पंचायती राज विभाग तथा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग सह नोडल होंगे।
- जनपद स्तर पर छोटी व सहायक नदियों का चिन्हिकरण, मैपिंग व पुनरोद्धार तथा कायाकल्प की रणनीति/कार्ययोजना तैयार की जाए तथा ग्राम पंचायत विकास योजना में उक्त को सम्मिलित करते हुए अनुश्रवण कराया जाए।
- नदियों के बहाव क्षेत्र का सीमांकन किये जाने हेतु राजस्व विभाग द्वारा कार्यवाही की जाए।
- नोडल अधिकारी द्वारा छोटी नदी के पुनरोद्धार कार्यों के विकसित किये गये पोर्टल (www.smcgup.org) पर डाटा प्रविष्टि कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- नोडल अधिकारी पुनरोद्धार कार्य की पाक्षिक तथा जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति द्वारा मासिक समीक्षा की जाए।
- पुनरोद्धार कार्यों को और प्रभावी बनाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार की गतिविधियों की जाए तथा कार्यक्रम को जन अन्दोलन से जोड़ा जाए।

3. वित्त पोषण:-

उक्त पुनरोद्धार की कार्ययोजना हेतु निम्नानुसार वित्त पोषण किया जाए:-

- (क) जनपद स्तर पर सहयोगी विभागों द्वारा उनके कार्य क्षेत्र के अनुसार गतिविधियाँ हेतु कर्न्वजेन्स के माध्यम से।

474

-4/-

contd.

-4-

- (ख) शहरी क्षेत्र (नगर निगम/विकास प्राधिकरण/नगर पालिका/नगर पंचायत) व ग्रामीण क्षेत्र (जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत) के राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग के मद से नियमानुसार।
- (ग) नदी की डीसिल्टिंग कार्य हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के माध्यम से कार्य कराये जायेंगे। परिसम्पतियों से आय प्राप्त करने हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-113/2019/718/19-27सि0-4-28(डब्ल्यू)/2019, दिनांक 02 अप्रैल, 2019 के अनुसार कार्यवाही की जाय।
- (घ) जिला प्रशासन द्वारा सी.एस.आर. के माध्यम से।
- (ङ) जन आंदोलन के द्वारा जन सहभागिता के माध्यम से।
4. नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कई विभागों के बीच अभिसरण (Convergence) एवं समन्वय आवश्यक है, अतः संबंधित विभागों द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग:-** नदी के पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता संरक्षण, अतिक्रमण से बचाव हेतु सघन वन रोपण (catchment area treatment) और वन्य जीव आवासों की बहाली के लिये सहयोग प्रदान करेगा। साथ ही नदी संबंधित मानचित्र, आरक्षित वन (Reserve Forest) वेटलैण्ड के संबंध में सूचना उपलब्ध करायेगा तथा मानसून अवधि में कार्य न किया जाना सुनिश्चित करेगा।
 - कृषि और बागवानी विभाग:-** जल उपयोग दसता में सुधार (जैसे Drip Irrigation को बढ़ावा देना), फसल चक्र में बदलाव और कृषि अपवाह को कम करने के लिये किसानों के साथ मिलकर काम करेगा।
 - ग्राम्य विकास विभाग:-** मनरेगा जैसी योजनाओं का उपयोग करके जल स्त्रोंत (तालाबों इत्यादि) के संरक्षण व पुर्नजीवन, नई संरचनाओं के निर्माण, ग्रे वॉटर प्रबंधन, नदी तटबंधों पर कार्य, पर्याप्त जल उपलब्धता और वनीकरण के लिये सहयोग प्रदान करेगा।
 - नगर विकास/नगर स्थानीय निकाय विभाग:-** शहरों से निकलने वाले सीवेज, खुली नालियाँ और ठोस कचरे के प्रबंधन और उपचार हेतु उत्तरदायी होगा तथा पर्याप्त जल उपलब्धता व जल गुणवत्ता में वृद्धि किये जाने के संबंध में कार्ययोजना तैयार करेगा तथा एस.टी.पी. के सुचारु संचालन हेतु उत्तरदायी होगा।
 - प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड:-** औद्योगिक और अन्य स्त्रोंतों से होने वाले प्रदूषण की निगरानी और उसे नियंत्रण करने हेतु कार्यवाही करेगा, साथ ही नदी की जल गुणवत्ता की निगरानी करेगा।
 - सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग:-** जल प्रवाह के प्रबंधन, नहरों के रख-रखाव और सिंचाई के लिये पानी के उचित वितरण में शामिल नदी की डीसिल्टेशन, चैनलाइजेशन, कोर्स करेक्शन, पर्याप्त जल उपलब्धता के लिये Convergence से कार्य करेगा। नदी से संबंधित पूर्व बाढ़ की सूचना उपलब्ध करायेगा तथा अतिक्रमण से बचाव हेतु कार्य करेगा।
 - लघु सिंचाई विभाग:-** कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने तथा भूजल पर निर्भरता कम करने, मृदा जल संरक्षण हेतु छोटे सिंचाई स्त्रोंतों (चेक डैम, बोरवेल, पम्पसेट, ड्रिप/स्प्रिंकलर) तथा वॉटर हारवेस्टिंग आदि सूक्ष्मसूचनाओं का निर्माण व रख-रखाव करेगा।

-5/-

contd.

-5-

- (viii) **भू-गर्भ जल विभाग:-** भूजल संसाधन का वैज्ञानिक अन्वेषण, आकलन, संरक्षण, संवर्धन, प्रदूषण से बचाव, वॉटर हारवेस्टिंग और सतत प्रबंधन हेतु कार्ययोजना तैयार कर कार्य करेगा।
- (ix) **मत्स्य विभाग:-** मत्स्य उत्पादन हेतु नियम लागू करना, मत्स्य संसाधनों का सर्वेक्षण व भौगोलिक जानकारी विकसित करना तथा इस संबंध में प्रशिक्षण आदि देगा।
- (x) **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग/तकनीकी संस्थान:-** IIT's जैसे संस्थानों से नदी पुनरोद्धार के लिये तकनीकी मॉडल और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने में सहायता प्राप्त की जा सकती है।
- (xi) **स्थानीय प्रशासन और जिला गंगा समितियों:-** स्थानीय स्तर पर निगरानी को बढ़ावा देकर नदी पुनर्जीवन जनान्दोलन का रूप देगा।
- (xii) **पंचायती राज विभाग:-** ग्राम स्तर पर विभाग द्वारा तैयार Planning document में नदियों के पुनरोद्धार कार्य को सम्मिलित किया जाय। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत के अन्तर्गत राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि से अनुमन्य प्राविधानों के अनुरूप अभिसरण किया जायेगा।
- (xiii) **Corporate Social Responsibilities (CSR):-** जनपदों में CSR की धनराशि से अन्य मदों के साथ Convergence से किया जा सकता है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह करने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार जनपदों में कार्ययोजना बनाते हुए छोटी एवं सहायक नदियों के पुनरूद्धार और कायाकल्प कराये जाने का कार्य सुनिश्चित कराया जाए।

भवदीय,
Digitally signed by
ANURAG SRIVASTAVA
ANURAG SRIVASTAVA
16/01/2026
16:56:45 सचिव।

-6/-

476

contd.

-6-

संख्या-01(1)/76-2-2026- E- 1609058-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग/पंचायती राज विभाग/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/कृषि विभाग/मत्स्य विभाग/उद्यान विभाग/नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि वे शासन स्तर से समन्वय हेतु अपने विभाग से नोडल नामित करते हुए राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ०प्र० लखनऊ को सूचित करने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. अपर आयुक्त, मनरेगा, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/नोडल अधिकारी, जिला गंगा समिति, उ०प्र०।
7. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, उत्तर प्रदेश।
8. संबंधित तकनीकी संस्थाओं के संबंधित विशेषज्ञ।
9. संबंधित विभागों के समिति के सदस्यगण।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Digitally signed by
ANURAG SRIVASTAVA
(अनुराग श्रीवास्तव) 26
16-57-57
अपर मुख्य सचिव।

477